

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 26, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 1-462-2010-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार बर्णवाल, भाप्रसे (1991), आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

2. उपरोक्तानुसार श्री अशोक कुमार बर्णवाल, भाप्रसे (1991) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992), परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक

निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

क्र. ई. 1-463-2010-5-एक.—(1) श्री आर. रामानुजम्, भाप्रसे (1979), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

2. उपरोक्तानुसार श्री आर. रामानुजम्, भाप्रसे (1979), द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक दास, भाप्रसे (1978), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, परिवहन विभाग केवल परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. एफ-4-5-2003-चौवन-2-संशोधन.—दिनांक 26 नवम्बर 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी की सामान्य सभा एवं कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित 2 व्यक्तियों क्रमशः क्रमांक 5 में अंकित डॉ. कैलाश गुरु स्वामी, सीहोर एवं क्रमांक 8 में अंकित डॉ. मो. शफी, बुरहानपुर के नामों को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. 1791-2200-2010-बीस-4.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-423-2010-5-एक, भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2010 द्वारा श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, भाप्रसे (2000) की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर नियुक्त के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई है।

उपरोक्त आदेश के क्रम में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, भाप्रसे (2000) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर नियुक्त किया जाकर कार्यालय, लोक शिक्षण में पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. दाण्डे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. एफ-5-3-2010-बत्तीस.—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 2780 (अ), दिनांक 12 नवम्बर 2010 द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1553 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुपालन में मध्यप्रदेश राज्य हेतु राज्य स्तरीय

पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) मध्यप्रदेश का गठन निम्नानुसार किया गया है:—

(1) राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए):—

- | | | |
|-----|--|--|
| 1.1 | श्री अमर सिंह, आई.ए.एस. (रिटायर्ड), 322, रोहित नगर, फेज-1, ई-8 (एक्सटेंशन), अरेरा कालोनी, भोपाल | अध्यक्ष
परियोजना
प्रबंधन. |
| 1.2 | श्री मोहम्मद हाशिम, आई.एफ.एस. (रिटायर्ड), 12, ग्रीन व्हेली एनक्लेव, गुलमोहर मेरिज हॉल के पीछे एयरपोर्ट रोड, भोपाल. | सदस्य
पर्यावरण
वानिकी एवं
वन जीव. |
| 1.3 | कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको), भोपाल. | सदस्य-सचिव |

(2) उक्त राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक का.आ. 49 (अ), दिनांक 8 जनवरी 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे।

(3) भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 49 (अ), दिनांक 1 जनवरी 2008 की कंडिका 5 एवं कंडिका 10 के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण की बैठकों एवं कार्य सम्पादन हेतु रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट विंग, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-3-10-बत्तीस-1-2010.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा एक सदस्यीय रतलाम नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का गठन करती है जिसमें कलेक्टर, रतलाम को रतलाम विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

क्र. एफ-3-10-बत्तीस-1-2010.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 46 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,

राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ रतलाम विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करता है।

क्र. एफ-3-37-बत्तीस-1-2010.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 46 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़ को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अमरकंटक, विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करता है।

क्र. एफ-3-37-बत्तीस-1-2010.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एक सदस्यीय अमरकंटक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का गठन करती है जिसमें कलेक्टर, अनुपपुर को अमरकंटक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

क्र. एफ-3-8-बत्तीस-1-2009.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 46 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी, कटनी को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ कटनी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करता है।

क्र. एफ-3-8-बत्तीस-1-2009.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कटनी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का गठन करती है जिसमें कलेक्टर, कटनी को कटनी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 17(ई) 28-2010-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री इकबाल अहमद, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छिन्दवाड़ा की सेवाएं पीठासीन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ अधिकरण, भोपाल के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग को सौंपता है।

फा. क्र. 17(ई) 4-2001-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री संजय कुमार गुप्ता, सिविल न्यायाधीश, वर्ग 1 के अतिरिक्त न्यायाधीश/ न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, करेरा, जिला शिवपुरी एवं श्री सचिन शर्मा, चतुर्थ सिविल न्यायाधीश, वर्ग 1, ग्वालियर की सेवाएं उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 1(बी)-30-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2004 के द्वारा श्री नंदलाल पाण्डेय को अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक (फास्ट ट्रेक कोर्ट), मऊगंज नियुक्त किया गया था।

श्री नंदलाल पाण्डेय, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, मऊगंज की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री नंदलाल पाण्डेय, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, मऊगंज उक्त पद पर कार्य करते रहेंगे शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना-पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि (जो भी बाद में पूर्ण हो) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 17(ई)-35-05-इक्कीस-ब (दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1984 का संख्याक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1987 का संख्याक 39) की धारा 9 की उपधारा (2) की खण्ड (ख) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 14 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से निम्न अनुसूचि के कालम (2) में विनिर्दिष्ट जिला सिंगरौली (बैदुन) के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली (बैदुन) के लिए जिला समिति गठित की जाती है, जिनके अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता

है, जिसके अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

अनुसूची

क्रमांक	जिला	पदेन सदस्य
(1)	(2)	(3)
1	सिंगरौली	1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष 2. जिला दण्डाधिकारी, सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, सदस्य 4. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सदस्य 5. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, सदस्य 6. जिला शासकीय अधिवक्ता, सदस्य

नामनिर्देशित सदस्य

1. श्री त्रिपुरारी नाथ पाण्डेय, अधिवक्ता
2. श्री प्रदीप शाह, अधिवक्ता
3. श्री बृजेन्द्र देव पाण्डेय, अधिवक्ता

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 1(बी)-7-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2004 के द्वारा श्री लालमणि सिंह चौहान को शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक, सीधी नियुक्त किया गया—था.

श्री लालमणि सिंह चौहान, शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक, सीधी की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री लालमणि सिंह चौहान शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक उक्त पद पर कार्य करते रहने की शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना-पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि (जो भी बाद में पूर्ण हो) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1(बी)-1-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अगस्त 2004 के द्वारा श्री रूपसिंह यादव को अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, सागर नियुक्त किया गया था.

श्री रूपसिंह यादव को अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, सागर की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री रूपसिंह यादव, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक उक्त पद पर कार्य करते रहने

की शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना-पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि (जो भी बाद में पूर्ण हो) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1(बी)-9-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2004 के द्वारा श्री विनोद कुमार मिश्रा को शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक, बैतूल नियुक्त किया गया था.

श्री विनोद कुमार मिश्रा को शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक, बैतूल की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री विनोद कुमार मिश्रा को शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक उक्त पद पर कार्य करते रहने की शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना-पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि (जो भी बाद में पूर्ण हो) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1(बी)-42-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2004 के द्वारा श्री जे. डी. मोदी को अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, धार नियुक्त किया गया था.

श्री जे. डी. मोदी अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, धार की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री जे. डी. मोदी को अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक उक्त पद पर कार्य करते रहने की शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना-पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि (जो भी बाद में पूर्ण हो) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-31-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की

उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5037-3980-चौदह-3, दिनांक 19 नवम्बर 1977 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी सतना, जिला सतना के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

नगर पंचायत रामपुरबघेलान, तहसील रामपुरबघेलान, जिला सतना के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 11.54 एकड़ भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	रकबा (एकड़ में) (3)
1	135	3.70
2	136	1.71
3	137	5.78
4	143	0.35
कुल योग . .		11.54

जिसकी सीमाएं

उत्तर में— ग्राम नेमुआ की भूमि.

दक्षिण में— रीवा-सतना रोड

पूर्व में— शासकीय चारागाह

पश्चिम में— बाण सागर परियोजना की नहर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-31-2010-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 7th December 2010

No. D-15-31-2010-XIV-3.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of

the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare the following place including all structures, enclosures, open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi Satna of Satna District has been established vide this Department's Notification No. 5037-3980-XIV-3, dated 19 November 1977 shall be sub market yard namely:—

PLACE

An area of 11.54 Acres land of below Mentioned Khasra number at Nagar Panchayat Rampurbaghelan in Tehsil Rampurbaghelan of District Satna:—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Acres) (3)
1	135	3.70
2	136	1.71
3	137	5.78
4	143	0.35
All Total . .		11.54

BOUNDED BY

On the North by— Land of gram Nemua.

On the South by— Rewa-Satna Road.

On the East by— Govt. Grass Land.

On the West by— Canal of Badsager Pariojana.

By order and in the name of the Governor of the
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-31-2010-चौदह-3.— मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 के द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति सतना, जिला सतना के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) नगर पंचायत रामपुरबघेलान, तहसील रामपुरबघेलान, जिला सतना की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मण्डी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

- (1) महुरक्ष, (2) कदैला, (3) बठिया, (4) खारी, (5) बाघा, (6) जमुनिया, (7) सेल्हना, (8) रामपुरबघेलान, (9) तपा, (10) हर्षनारायण करही, (11) जमुना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-31-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 7th December 2010

No. D-15-31-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the sub Market yard as under this Department's Notification even number dated 7th December 2010 the following area in the market area of Satna of District Satna shall be the Market proper:—

AREA

- (1) An area within the limit of Nagar Panchayat Rampurbaghelan in Tehsil Rampurbaghelan of District Satna.
- (2) An Area comprising of the following Villages within the radius of 5 Kilometers from the sub Market yard namely:—
- (1) Mahurachh, (2) Kadaila, (3) Bathiya, (4) Kharee, (5) Bagha, (6) Jumuniya, (7) Selhana, (8) Rampurbaghelan, (9) Tapa, (10) Harsnayaran Karhi, (11) Jamuna.

By order and in the name of the Governor of the
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-32-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, चौरई एवं कृषि उपज मण्डी समिति, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा में निर्वाचन द्वारा मण्डी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:—

कृषि उपज मण्डी समिति, चौरई

- | | |
|--|--------------------|
| 1. श्री प्रभुदयाल सिंह मुन्ना पटेल
(पूर्व निर्वाचित) | अध्यक्ष |
| 2. श्री अशोक कुमार दुबे (पूर्व निर्वाचित) | व्यापारी प्रतिनिधि |
| 3. श्री गनाराम/बजू (पूर्व निर्वाचित) | कृषक सदस्य |
| 4. श्रीमती जगवती बाई/जेठू (पूर्व निर्वाचित) | कृषक सदस्य |
| 5. श्री चन्द्रभान/ काशीराम (पूर्व निर्वाचित) | कृषक सदस्य |
| 6. श्री मधुरिम डेहरिया (पूर्व निर्वाचित) | कृषक सदस्य |
| 7. श्री देवेन्द्र/वीरेन्द्र पटेल, निवासी
मु. पो. चांद, तह. चौरई, जिला
छिन्दवाड़ा (नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 8. श्री दीपक/ महेश, निवासी मु. पो.
बीजावाडा, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा
(नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 9. श्री श्यामसिंह/ कोमल सिंह, निवासी
मु. पो. समसवाडा, तह. चौरई, जिला
छिन्दवाड़ा (नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 10. श्री मुकेश/ विष्णु, निवासी मु. पो.
हिवरखेडी, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा
(नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 11. श्री बलवंत/ जबरसिंह, निवासी मु. पो.
उदादौन, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा
(नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 12. श्री सरूप/ इमरत, निवासी मु. पो.
चांददाना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा
(नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य
जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो. | (पदेन सदस्य) |
| 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक
प्रतिनिधि. | (पदेन सदस्य) |

- | | |
|---|---|
| 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी (पदेन सदस्य) | 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि. (पदेन सदस्य) |
| 16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य. (पदेन सदस्य) | 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी (पदेन सदस्य) |
| 17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य) | 16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य. (पदेन सदस्य) |
| 18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य) | 17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य) |
| 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य. (पदेन सदस्य) | 18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य) |
| | 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य. (पदेन सदस्य) |

कृषि उपज मण्डी समिति, अमरवाड़ा

- श्री बसंत कुमार चौबे पिता ईश्वरी प्रसाद चौबे, (नामनिर्दिष्ट) मु. सारसडोल, पो. धौधरी, तह. अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा. अध्यक्ष
- श्री रमेश साहू (पूर्व निर्वाचित) कृषक सदस्य
- श्रीमती सेववती बाई (पूर्व निर्वाचित) कृषक सदस्य
- श्री संदीप/ श्यामबिहारी सक्सेना (पूर्व निर्वाचित). कृषक सदस्य
- श्रीमती पार्वती बाई अम्मीलाल साहू (पूर्व निर्वाचित). कृषक सदस्य
- श्री संजू/ श्री मानकलाल (पूर्व निर्वाचित) कृषक सदस्य
- श्री धनीराम/ केशरी (पूर्व निर्वाचित) कृषक सदस्य
- श्री पुष्प कुमार जैन पिता ज्ञानचंद जैन (नामनिर्दिष्ट), मु. पो. सिंगोडी, तह. अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा. कृषक सदस्य
- श्री धनपालशाह उईके पिता मेहमान शाह उईके (नामनिर्दिष्ट), मु. पो. धौधरी, तह. अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा. कृषक सदस्य
- श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता पिता होरीलाल गुप्ता (नामनिर्दिष्ट), मु. पो. हरई, तह. हरई, जिला छिन्दवाड़ा. कृषक सदस्य
- श्री शशिभूषण सिंह ठाकुर पिता जोखमसिंह ठाकुर (नामनिर्दिष्ट) मु. पो. बटकाखापा, तह. हरई, जिला छिन्दवाड़ा. कृषक सदस्य
- श्री बसंत कुमार साहू पिता पचकौडी साहू (नामनिर्दिष्ट), मु. पो. अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा. व्यापारी प्रतिनिधि
- राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो. (पदेन सदस्य)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-32-2010-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 7th December 2010

No. D-15-32-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby constitutes the following Market Committee for Krishi Upaj Mandi Samit, Chouri and Krishi Upaj Mandi Samiti, Amarwarah, District Chhindwarah till constitution of the committee through election:—

Krishi Upaj Mandi Samiti, Chouri

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Shri Prabhudayal Singh | Chairman |
| Munna Patel (previously elected). | |
| 2. Shri Ashok Kumar Dubey | Traders |
| (previously elected). | Representative |
| 3. Shri. Gannaram/Bajju | Farmer |
| (previously elected). | Representative |
| 4. Smt. Jagwatibai/Jethu | Farmer |
| (previously elected). | Representative |
| 5. Shri Chandrabhan/ Kashiram | Farmer |
| (previously elected). | Representative |

6. Shri Madhurim Dehriya (previously elected).	Farmer Representative.	2. Shri Basant Kumar Sahu s/o Pachchodi Sahu (Nominated).	Traders Representative.
7. Shri Devendra/ Veerendra Patel, Res. M.Po. Chand, Tah. Chorje, Distt. Chhindwarah (Nominated).	Farmer Representative.	3. Shri Ramesh Sahu, (Previously Elected).	Farmers' Representative.
8. Shri Deepak/Mahesh, Res. M.Po. Bijabada Tah. Chorje, Distt. Chhindwarah (Nominated).	Farmer Representative.	4. Smt. Sevwati Bai, (Previously Elected).	Farmers' Representative.
9. Shri Shyam Singh/ Komalsingh, Res. M.Po. Samasbada Tah., Chorje, Distt. Chhindwarah (Nominated).	Farmer Representative.	5. Shri Sandeep/Shyambehari Saxena (Previous elected).	Farmers' Representative.
10. Shri Mukesh/Vishnu, Res. M.Po. Hiwarkhede Tah. Chorje, Distt. Chhindwarah (Nominated).	Farmer Representative.	6. Smt. Parvati Bai Ammilal Sahu (Previously elected).	Farmers' Representative.
11. Shri Balbant/Jabersingh Res. M.Po. Uddadaun Tah. Chorje, Distt. Chhindwarah (Nominated).	Farmer Representative.	7. Shri Sanju/Manaklal (Previously elected).	Farmers' Representative.
12. Shri Sarup/Imrat Res. M.Po. Chandana Tah. Chorje, Distt. Chhindwarah (Nominated).	Farmer Representative.	8. Shri Dhaniram/Keshri (Previously elected).	Farmers' Representative.
13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh, who is elected from the district.	(Ex-officio Member).	9. Shri Pushp Kumar Jain, s/o Shri Gyaanchand Jain (Nominated) M.Po. Singhode Tah. Amarwarah, Distt. Chhindwarah.	Farmers' Representative.
14. A representative from marketing Society.	(Ex-officio Member).	10. Shri Dhanpalsingh Uiky, s/o Mehmansingh Uiky (Nominated) M.Po. Ghoghre, Tah. Amarwarah Distt. Chhindwarah.	Farmers' Representative.
15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department.	(Ex-officio Member).	11. Shri Dwarkaprasad Gupta, s/o Shri Horilal Gupta (Nominated) M.Po. Harri, Tah. Harri, Distt. Chhindwarah.	Farmers' Representative.
16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti.		12. Shri Sashibhushan Singh Thakur, s/o Shri Jhokhamisingh Thakur (Nominated) M.Po. Batkakhapa Tah. Harri, Distt. Chhindwarah.	Farmers' Representative.
17. Chairman of District Central Cooperative Bank.	(Ex-officio Member)	13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh, who is elected from the district.	(Ex-officio Member).
18. Chairman of District Land Development Bank.	(Ex-officio Member)	14. A representative from Marketing Society.	(Ex-officio Member).
19. A member from Village Panchayat Janpd Panchayat or District Panchayat.	(Ex-officio Member)	15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department.	(Ex-officio Member).
Krishi Upaj Mandi Samiti, Amarwarah			
1. Shri Basant Kumar Chobey. S/o Shri Ishwari Prasad Chobey (Nominated Res. M.Po. Sarasdol Ghoghre Tah. Amarwarah Distt. Chhindwarah.	Chairman	16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti.	

17. Chairman of District Central Cooperative Bank. (Ex-officio Member).
18. Chairman of District Land Development Bank. (Ex-officio Member).
19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat. (Ex-officio Member).

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-33-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, कृषि उपज मण्डी समिति, गरोठ, जिला मंदसौर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:—

कृषि उपज मण्डी समिति, गरोठ

- | | |
|--|--------------------|
| 1. श्री नरवर सिंह सोनगरा (पूर्व निर्वाचित). | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरिनारायण पिता बट्टीलाल (नामनिर्दिष्ट). | व्यापारी प्रतिनिधि |
| 3. श्रीमती बसंतबाई चौहान (पूर्व निर्वाचित) | कृषक सदस्य |
| 4. श्रीमती पुष्पाबाई पति रमेशचंद्र (पूर्व निर्वाचित). | कृषक सदस्य |
| 5. श्री चैनसिंह सिसोदिया (पूर्व निर्वाचित) | कृषक सदस्य |
| 6. श्री मनोजकुमार पिता कालुरामजी पाटीदार (पूर्व निर्वाचित). | कृषक सदस्य |
| 7. श्री मोतीलाल मेहर (पूर्व निर्वाचित) | कृषक सदस्य |
| 8. श्रीमती मंजु पति दिनेश चौधरी गरोठ (नामनिर्दिष्ट) | कृषक सदस्य |
| 9. श्री चंद्रसिंह पिता श्री नाथुसिंह, कोटडाखुर्द (नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 10. श्री विष्णु पिता श्री रामगोपाल बार्डियाअमरा (नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |

- | | |
|--|--------------|
| 11. श्री मोहन लाल बघेल पिता श्री पुरालाल ढाकनी (नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 12. श्री राजेन्द्र पिता श्री माणकचंद (नामनिर्दिष्ट) | कृषक सदस्य |
| 13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो (विधान सभा क्षेत्र गरोठ जिला मंदसौर). | (पदेन सदस्य) |
| 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि. | (पदेन सदस्य) |
| 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी | (पदेन सदस्य) |
| 16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य. | (पदेन सदस्य) |
| 17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष | (पदेन सदस्य) |
| 18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष | (पदेन सदस्य) |
| 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य. | (पदेन सदस्य) |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-33-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 7th December 2010

No. D-15-33-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by under sub-section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby constitutes the following Market Committee for Krishi Upaj Mandi Samiti Garoth, District Mandasore till constitution of the committee through election:—

Krishi Upaj Mandi Samiti, Garoth

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Shri Narver Singh Songara (previously elected). | Chairman |
| 2. Smt. Basant Bai Chouhan, (previously elected). | Farmer Representative |

3. Smt. Pushpabai w/o Shri Rameshchandra (previously elected).	Farmer Representative
4. Shri Chainsingh Sisodiya (previously elected).	Farmer Representative
5. Shri Manoj Kumar s/o Shri Kaluramji Patidar (previously elected).	Farmer Representative
6. Shri Motilal Mehar (previously elected).	Farmer Representative
7. Smt. Manju w/o Dinesh Choudhary Garoth (Nominated)	Farmer Representative
8. Shri Chandersingh s/o Shri Nathu singh Kotdakhurd (Nominated).	Farmer Representative
9. Shri Vishnu s/o Shri Ramgopal, Bardiyaamra (Nominated).	Farmer Representative
10. Shri Mohan Lal Bagel s/o Shri Puralal, Dhakni (Nominated)	Farmer Representative
11. Shri Rajendra, s/o Shri Manakchand (Nominated)	Farmer Representative
12. Shri Harinarayan s/o Shri Badrilal (Nominated).	Traders Representative
13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh, who is elected from the district.	(Ex-officio Member)
14. A representative from marketing Society.	(Ex-officio Member)
15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department.	(Ex-officio Member)
16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti	(Ex-officio Member)
17. Chairman of District Central Cooperative Bank.	(Ex-officio Member)
18. Chairman of District land Development Bank.	(Ex-officio Member)
19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat.	(Ex-officio Member)

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-34-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, डबरा एवं कृषि उपज मण्डी समिति, भितरवार, जिला ग्वालियर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:—

कृषि उपज मण्डी समिति, डबरा

1. श्री अशोक गौतम, सुभाष गंज डबरा, (नामनिर्दिष्ट).	अध्यक्ष
2. श्री दिनेश गोयल (पूर्व निर्वाचित)	व्यापारी प्रतिनिधि
3. श्रीमती अंजू देवी (पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
4. श्री महेश कुमार (पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
5. श्रीमती विट्ठोबाई (पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
6. श्री वक्सीस सिंह (पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
7. श्री परमाल सिंह (पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
8. श्री नारायण सिंह (पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
9. श्री हीरा सिंह, पिता श्री अजायब सिंह, निवासी ठाकुर बाबा रोड, डबरा.	कृषक प्रतिनिधि
10. श्री सीताराम माहौर पिता श्री बृजलाल माहौर, निवासी खेरी अमरपुरा, डबरा	कृषक प्रतिनिधि
11. श्री कुंदन सिंह बघेल पिता श्री दाताराम बघेल, निवासी कुम्हरा, डबरा.	कृषक प्रतिनिधि
12. श्री प्रीतम सिंह रावत, पिता श्री सुरजन सिंह, निवासी जरावनी, डबरा.	कृषक प्रतिनिधि
13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो.	(पदेन सदस्य)
14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि.	(पदेन सदस्य)
15. कृषि विभाग का एक अधिकारी	(पदेन सदस्य)
16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य.	(पदेन सदस्य)
17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष	(पदेन सदस्य)

18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष (पदेन पदस्य)
19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य. (पदेन पदस्य)

19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य. (पदेन सदस्य)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

कृषि उपज मण्डी समिति, भितरवार

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

1. श्री पहाड सिंह, (पूर्व निर्वाचित) अध्यक्ष
2. श्री अनंत कुमार जैन पिता श्री नैमीचंद जैन, पुरानी बाजार, भितरवार. व्यापारी प्रतिनिधि
3. श्री कमलकिशोर (पूर्व निर्वाचित) कृषक प्रतिनिधि
4. श्रीमती भागवती (पूर्व निर्वाचित) कृषक प्रतिनिधि
5. श्री उदयभान सिंह (पूर्व निर्वाचित) कृषक प्रतिनिधि
6. श्रीमती शांती बाई (पूर्व निर्वाचित) कृषक प्रतिनिधि
7. श्री धर्मेन्द्र सिंह, पिता श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी मस्तूरा, भितरवार. कृषक प्रतिनिधि
8. श्री गोविंद पाठक, पिता श्री रामभरोसे, निवासी भितरवार. कृषक प्रतिनिधि
9. श्री गब्बर सिंह, पिता श्री नाहर सिंह, निवासी बड़ेरा भितरवार. कृषक प्रतिनिधि
10. श्री उत्तम बाथम, पिता श्री गंभीरा बाथम, निवासी मोहनगढ़ भितरवार. कृषक प्रतिनिधि
11. श्री राम सिंह यादव, पिता श्री अयोध्या प्रसाद, निवासी पुराना बाजार भितरवार. कृषक प्रतिनिधि
12. श्री कप्तान सिंह, पिता श्री सरनाम सिंह रावत, निवासी डोंगरपुर भितरवार. कृषक प्रतिनिधि
13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो. (पदेन सदस्य)
14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि. (पदेन सदस्य)
15. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य. (पदेन सदस्य)
16. कृषि विभाग का एक अधिकारी (पदेन सदस्य)
17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य)
18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य)

क्र. डी-15-34-2010-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 7th December 2010

No. D-15-34-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by under sub-section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby constitutes the following Market Committee for Krishi Upaj Mandi Samiti, Dabra and Krishi Upaj Mandi Samiti, Bheterbar, District Gwalior till constitution of the committee through election:—

Krishi Upaj Mandi Samiti, Dabra

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Shri Ashok Gautum, Subhash ganj Dabra (Nominated). | Chairman |
| 2. Shri Dinesh Goyal, (previously elected). | Traders Representative |
| 3. Smt. Anju Davi (previously elected). | Farmer Representative |
| 4. Shri Mahesh Kumar (previously elected). | Farmer Representative |
| 5. Smt. Bitthobai (previously elected). | Farmer Representative |
| 6. Shri Bakshis Singh (Previously elected) | Farmer Representative |
| 7. Shri Parmal Singh (previously elected). | Farmer Representative |
| 8. Shri Narayan Singh (previously elected). | Farmer Representative |
| 9. Shri Heera Singh, S/o Shri Ajayab Singh r/o thakur baba road Dabra. | Farmer Representative |

10. Shri Sitaram Mahore s/o Shri Brijlal Mahore r/o kheri Amarpura, Dabra.	Farmer Representative	8. Shri Govind Pathak, S/o Shri Rambharose R/o Bheterbar	Farmers' Representative
11. Shri Kundan Singh Baghel s/o Shri Dataram Baghel r/o Kumhrrah, Dabra.	Farmer Representative	9. Shri Gabbar Singh S/o Shri Nahar Singh R/o Bajhera, Bheterbar	Farmers' Representative
12. Shri Preetam Singh Rawat s/o Shri Surjan Singh r/o Jaravni, Dabra.	Farmer Representative	10. Shri Uttam Batham, S/o Shri Gambhira Batham R/o Mohangarh, Bheterbar	Farmers' Representative
13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh, who is elected from the district.	(Ex-officio Member)	11. Shri Ramsingh Yadav, S/o Shri Ayodhya Prasad R/o Old Market, Bheterbar	Farmers' Representative
14. A representative from Marketing Society.	(Ex-officio Member)	12. Shri Kaptan Singh S/o Shri Sarnamsingh Rawat R/o Dongerapur, Bheterbar	Farmers' Representative
15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department.	(Ex-officio Member)	13. A member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh who is elected from the district.	(Ex-officio Member)
16. A Member from license holder weighmen of Mandi Samiti.	(Ex-officio Member)	14. A representative from Marketing Society	(Ex-officio Member)
17. Chairman of District Central Cooperative Bank	(Ex-officio Member)	15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department	(Ex-officio Member)
18. Chairman of District Land Development Bank.	(Ex-officio Member)	16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti.	(Ex-officio Member)
19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat.	(Ex-officio Member)	17. Chairman of District Central Cooperative Bank	(Ex-officio Member)

Krishi Upaj Mandi Samiti, Bheterbar

1. Shri Pahad Singh (Previously elected).	Chairman	18. Chairman of District Land Development Bank	(Ex-officio Member)
2. Shri Anant Kumar Jain s/o Shri Nemichand Jain Old market Bheterbar.	Traders Representative	19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat.	(Ex-officio Member)
3. Shri Kamal Kishore, (Previously Elected)	Farmers' Representative		
4. Smt. Bhagwati, (Previously Elected).	Farmers' Representative		
5. Shri Udaibhan Singh (Previous Elected)	Farmers' Representative		
6. Smt. Shanti Bai (Previously Elected)	Farmers' Representative		
7. Shri Dharmendra Singh S/o Shri Laxman Singh r/o Mastura, Bheterbar	Farmers' Representative		

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-35-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, कृषि उपज मण्डी समिति, सुसनेर, जिला शाजापुर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:—

कृषि उपज मण्डी समिति, सुसनेर

- | | |
|--|--------------------|
| 1. श्री राणा विक्रम सिंह
(पूर्व निर्वाचित). | अध्यक्ष |
| 2. श्री अब्दुल कलाम मंसूरी
(नामनिर्दिष्ट). | व्यापारी प्रतिनिधि |
| 3. श्री जगदीश चंद्रजी बंसिया
(पूर्व निर्वाचित). | कृषक सदस्य |
| 4. श्री कंवर लाल जी
(पूर्व निर्वाचित). | कृषक सदस्य |
| 5. श्री मांगी लाल जी
(पूर्व निर्वाचित). | कृषक सदस्य |
| 6. श्रीमती कंचन बाई
(पूर्व निर्वाचित). | कृषक सदस्य |
| 7. श्रीमती मांगी बाई
(पूर्व निर्वाचित). | कृषक सदस्य |
| 8. श्री मानसिंह पिता श्री पर्वतसिंह
निवासी ग्राम डेहरिया (नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 9. श्री दुला पिता श्री रतन जी परिहार
निवासी ग्राम बामन्याखेड़ी (नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 10. श्री मोहनसिंह पिता श्री बापूसिंह
निवासी मुंदलावदा (नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 11. श्रीमती नंदूबाई पति श्री गोवर्धन लाल,
निवासी ओडी (नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 12. श्री महावीर जैन पिता श्री केवलचंद्र जैन
निवासी सुसनेर (नामनिर्दिष्ट). | कृषक सदस्य |
| 13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य
जो उस जिले से निर्वाचित किया गया
हो. (विधान सभा क्षेत्र सुसनेर
जिला शाजापुर) | (पदेन सदस्य) |

- | | |
|---|--------------|
| 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक
प्रतिनिधि. | (पदेन सदस्य) |
| 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी | (पदेन सदस्य) |
| 16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी
समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त
अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा
हम्मालों का एक सदस्य. | (पदेन सदस्य) |
| 17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
का अध्यक्ष | (पदेन सदस्य) |
| 18. जिला भूमि विकास बैंक
का अध्यक्ष | (पदेन सदस्य) |
| 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत
या जिला पंचायत का एक सदस्य. | (पदेन सदस्य) |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-35-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 7th December 2010

No. D-15-35-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby constitutes the following Market Committee for Krishi Upaj Mandi Samiti, Susner District Shajapur, till constitution of the committee through election:—

Krishi Upaj Mandi Samiti, Susner

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Shri Rana Vikram Singh
(previously elected). | Chairman |
| 2. Shri Abdul Kalam Mansuri,
(Previously Elected) | Farmers'
Representative |
| 3. Shri Jagdish Chandrajji
bansiya (Previously Elected) | Farmers'
Representative |

4. Shri Kawar Lalji (Previously Elected)	Farmer Representative	18. Chairman of District Land Development Bank	(Ex-officio Member)
5. Shri Mangi Lalji (Previously Elected)	Farmer Representative	19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat.	(Ex-officio Member)
6. Smt. Kanchan Bai (Previously Elected)	Farmer Representative	By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.	
7. Smt. Mangi Bai (Previously Elected)	Farmer Representative		
8. Shri Man Singh S/o Shri Parvat Singh Res. Gram Dehriya (Nominated)	Farmer Representative	गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2010	
9. Shri Dula S/o Shri Ratanji Parihar, Res. Gram Bamanyakhede (Nominated).	Farmer Representative	क्र. एफ 1(ए) 164-1994-ब-2-दो.—(1) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 16 दिसम्बर 2010 तक, कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 5, 17, 18 एवं 19 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	
10. Shri Mohan Singh S/o Shri Bapu Singh, Res. Mundlavada (Nominated).	Farmer Representative	(2) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य दायित्व श्री साकेत प्रकाश पाण्डेय, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (योजना) को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।	
11. Smt. Nandubai w/o Shri Gowardhanlal, Res. Ode (Nominated).	Farmer Representative	(3) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक (योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री साकेत प्रकाश पाण्डेय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे।	
12. Shri Mahveer Jain S/o Shri Kewal Chand Jain Res. Susner (Nominated).	Traders Representative	(4) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।	
13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh who is elected from the district. Shajapur	(Ex-officio Member)	(5) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।	
14. A representative from Marketing Society	(Ex-officio Member)		
15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department	(Ex-officio Member)		
16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti.	(Ex-officio Member)	(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।	
17. Chairman of District Central Cooperative Bank	(Ex-officio Member)	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, प्रमुख सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 27 नवम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

क्र. 1913-भू-अर्जन-10-राजस्व प्रकरण क्रमांक 1-अ-82-10-11.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कम्पनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतया—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 27 नवम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम गोगावां, प. ह. नं. 18, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 20 कुल क्षेत्रफल 1.960 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम गोगावां

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	गुलफाम पिता नुरमोहम्मद पिंजारा सा. देह	191/1, 200	0.109	नींबु-1, नीम-2
2	जरदार पिता मौसम पिंजारा सा. देह	192 पैकी	0.016	-
3	जरदार पिता मौसम नुरमोहम्मदी, मदरसा खजांची, सुलेमान पिता बक्षु पंच शमशुदीन पिता नवाब खान पिंजारा सा. देह.	198 पैकी	0.073	नीम-6, बोर-1
4	करीम खां पिता मिट्टु पिंजारा सा. देह	199/1	0.093	शहतुत-1, नीम-1, बोर-1, नींबु पौधा-2
5	भुरे खां, रमेश, सुलेमान, बाबु, शैरा पिता बक्षा पिंजारा सा. देह.	199/2	0.032	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	हमीद खां पिता बाबुखां पिंजारा सा. देह	191/9 199/3	0.153	कवीट-1, नीम-1
7	छज्जु, करामत, गुड्डीबाई पिता वजीरखां रेखाबाई बेवा नवाब, शमशुद्दीन लीलुफर, फिरोज पिता नवाब, मनोहर, इब्राहिम, हबीब, शरीफ पिता अब्बास, कमलाबाई, हमीदाबाई पिता अब्बास पिंजारा सा. गोगावां.	199/4	0.040	मकान-4
8	पवन पिता गजानंद कुलमी सा. देह	201	0.202	इमली-3, नीम-4 आम-3, आम पौधे-2 बेर-2, बांस-2, जाम-2 सीताफल-11, मकान कच्चा-1.
9	सावित्रीबाई बेवा गजानंद, कुलमी, सा. देह	203/1	0.057	-
10	डालूराम पिता गणपत, कुलमी सा. देह	203/2	0.032	नीम-2, इमली-1, बोर पौधे 2.
11	गुलफाम पिता नुरमोहम्मद पिंजारा सा. देह	204	0.036	नीम-1
12	भूरेखां पिता बक्षु पिंजारा, सा. देह	206/1	0.028	
13	मुबारिक पिता बाल्या पिंजारा, सा. देह	206/2	0.028	नीबू पौधे-5, सीताफल-5, जामुन-2, शेरतुत-1 जाम-2.
14	शांताबाई पिता हुकुमचंद, कुलमी, सा. नान्द्रा	208	0.073	मकान-1
15	अनोकचंद पिता ठाकुर, पार्वतीबाई पिता ठाकुर, मांगीबाई बेवा, चंपालाल, कैलाश, जगदीश, जसुबाई पिता चंपालाल, कुलमी, सा. देह.	209	0.065	नीम-1
16	लक्ष्मण पिता गप्पु, कुलमी, सा. देह	210	0.057	नीम-2
17	बाबु, राजाराम, पिता ओंकार, सोनीबाई बेवा ओंकार, नरसिंह, सोभ्या, कन्हैया, मनोहर पिता मांगीलाल, राजकुंवर पिता बल्लू, रेशम, गेंदा, हीरूबाई पिता दीपा, जोग्या ठाकुर पिता धन्या उर्फ धवल्या, नानीबाई पिता धन्या उर्फ धवल्या, दुर्गा पिता माधव, रेवाबाई पिता नत्थु, मांग्या पिता मंगत्या, बेचर पिता भीका, गप्पु पिता कालू हीरालाल पिता लक्ष्मण, न्यादर पिता मुरार, राजाराम, बाबु, रामा पिता नराण, बलाई, सा. देह.	220/2 पैकी	0.736	नीम-4, सुरजना-1, बोर 4.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	लक्ष्मण पिता गप्पु, कुलमी, सा. देह	220/4	0.008	बड़-1, नीम-1
19	रेवाराम, प्रहलाद, रामचंद्र पिता नागू, नानीबाई बेबा नागु, रामप्यारीबाई पिता नागू सुतार, सा. देह.	222	0.077	नीम-1, मकान-1
20	कलाबाई बेवा ताराचंद, प्रवीण पिता ताराचंद, कुलमी, सा. देह.	224	0.045	-
योग :		20	1.960	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 मई 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-9-2010-सात-2-ए भोपाल, दिनांक 3 जून 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि —

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—
 - (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम गोगावां की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 मई 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम गोगावां की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 1.960 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
 - 1 कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
 - 2 भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
 - 3 संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

- 4 संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
 - 5 कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
 - 6 भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
 - 7 अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
 - 8 भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
 - 9 भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.
 - 10 कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
 - 11 यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
 - 12 भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
 - 13 शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
 - 14 पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
 - 15 कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
 - 16 यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
 - 17 भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.
 18. भूमि जिस पर प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
 19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
 20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

साक्षी क्र. 2

हस्ता./-

नाम : छोटेखान

पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन.

पक्ष क्र. 1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.

खरगोन, दिनांक 27 नवम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र

क्र. 1912-भू-अर्जन-10-राजस्व प्रकरण क्रमांक 2-अ-82-10-11.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतया—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 27 नवम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम नहारखेड़ी प. ह. नं. 34, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 08 कुल क्षेत्रफल 0.410 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम नहारखेड़ी

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बतुलबाई बेवा कासम खां, कमुबाई पिता कासम खां जाति मुन्डा नि. अमलाथा.	81/4 ख पैकी	0.040	आम-1, महु-1
2.	भारतसिंह, जितेन्द्र सिंह पिता धनसिंह, तारूबाई, उमाबाई, बसन्तीबाई पिता धनसिंह, देवकुवरबाई बेवा धनसिंह, सौदानसिंह पिता सौभागसिंह, मंगुसिंह, चंदरसिंह, शेरसिंह पिता दौलतसिंह, लाड़कीबाई पिता दौलतसिंह, शेरसिंह, बाघसिंह, कमलसिंह, रंजीतसिंह पिता भूरेसिंह, सेवन्ती पिता भूरेसिंह, तेजूबाई बेवा भूरेसिंह, झापू पिता बापुसिंह, गुलाबबाई, धनकोरबाई, बुलीबाई पिता नवलसिंह, करणसिंह, अंतरसिंह पिता पर्वतसिंह, सरूपबाई बेवा पर्वतसिंह, जशकुवरबाई, शिवकुवरबाई, राजुबाई, रेशमबाई पिता पर्वतसिंह, भवंरसिंह, बाघसिंह, मायाबाई पिता नहारसिंह दरियावसिंह पिता नारायणसिंह, मधुबाई बेवा रूपसिंह, जितेन्द्रसिंह, सुमनबाई, सकुबाई, बसुबाई, करुणाबाई, संतोषबाई, बेबीबाई, अन्तुबाई पिता रूपसिंह, विक्रमसिंह, धनसिंह, मेहताबसिंह, भगवानसिंह, सरदारसिंह पिता प्रहलादसिंह, शान्ताबाई बेवा प्रहलादसिंह राजपूत नि. ग्रा. अमलाथा.	84 पैकी	0.120	बैर-1, नीम-2
3	भारतसिंह, जितेन्द्र सिंह पिता धनसिंह, तारूबाई, उमाबाई, बसन्तीबाई पिता धनसिंह, देवकुवरबाई बेवा धनसिंह, सौदानसिंह पिता सौभागसिंह, मंगुसिंह, चंदरसिंह, शेरसिंह पिता दौलतसिंह, लाड़कीबाई पिता दौलतसिंह, शेरसिंह, बाघसिंह कमलसिंह, रंजीतसिंह पिता भूरेसिंह, सेवन्ती पिता भूरेसिंह, तेजूबाई बेवा भूरेसिंह, झापू पिता बापुसिंह, गुलाबबाई, धनकोरबाई, बुलीबाई पिता नवलसिंह, करणसिंह, अंतरसिंह पिता पर्वतसिंह, सरूपबाई बेवा पर्वतसिंह, जशकुवरबाई, शिवकुवरबाई, राजुबाई, रेशमबाई पिता पर्वतसिंह, भवंरसिंह, बाघसिंह, मायाबाई पिता नहारसिंह दरियावसिंह पिता नारायणसिंह, मधुबाई बेवा रूपसिंह, जितेन्द्रसिंह, सुमनबाई, सकुबाई, बसुबाई, करुणाबाई, संतोषबाई, बेबीबाई, अन्तुबाई पिता रूपसिंह, विक्रमसिंह, धनसिंह, मेहताबसिंह, भगवानसिंह, सरदारसिंह पिता प्रहलादसिंह, शान्ताबाई बेवा प्रहलादसिंह राजपूत नि. ग्रा. अमलाथा.	85 पैकी	0.100	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	हरेसिंह, सुकईबाई पिता गप्पूसिंह, कमलसिंह, सरदारसिंह, रेशमबाई पिता भारतसिंह, मंगतीबाई बेवा भारतसिंह, शारदाबाई, लक्ष्मीबाई बेवा देवीसिंह अज्ञान, दिकपाल, कविता, हेमलता, संगीता, आरती पिता देवीसिंह, पालनकर्ता मां, लक्ष्मीबाई बेवा देवीसिंह छन्दुबाई बेवा गजराजसिंह, उदयसिंह, जगदीशसिंह, कैलाशसिंह, शंकरसिंह, बलरामसिंह, जालमसिंह, पिता गजराजसिंह, बेबीबाई, गायत्रीबाई पिता गजराजसिंह, प्रतपासिंह पिता शेरसिंह, मंगुसिंह, विक्रमसिंह, श्यामसिंह पिता केसरेसिंह, घिसीबाई, कुसुमबाई, संतोषबाई पिता केसरेसिंह, नारायणसिंह करणसिंह, छायाबाई पिता मानसिंह, सीताबाई बेवा मानसिंह, दुलेसिंह पिता बापूसिंह, अंतरसिंह, भुवानेसिंह पिता किशोरसिंह, इन्दरसिंह पिता राजेसिंह, रामसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता राजेसिंह राजपूत निवासी अमलाथा.	89 पैकी	0.057	-
5	प्यारा पिता देवचंद, रेवाबाई बेवा देवचंद, गणपत, गोपाल पिता रामा, कोल्या पिता हरचंद, बावल्या, भल्या, दयाराम पिता बोखार अमरिया राजु पिता घिस्या, गौराबाई, गोपीबाई बेवा घिस्या, विसन, मल्लु पिता रूपा, रेवाराम सदिया पिता एडीया जमनाबाई, ससीबाई पिता एडीया लाड़कीबाई बेवा एडीया नि. नहारखेड़ी.	93 पैकी	0.004	-
6	कड़वा पिता गोविन्द जाति भारुड़ निवासी नहारखेड़ी	104/1/1	0.004	बैर-1
7	मगनबाई बेवा फकिरा, कड़वा रामकिशन पिता फकिरा सुरजबाई पिता फकीरा जाति भारुड़ निवासी नहारखेड़ी	105 पैकी	0.004	-
8	रूखड़ीया पिता मांग्या, सजनबाई, गोगलबाई, कमलाबाई नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू जाति बलाई निवासी अमलाथा	107	0.081	जामुन-1, कऊ-1
योग :		8	0.410	-

- राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-8-2010-सात-2-ए भोपाल, दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.
- कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि —

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—
- (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम नहारखेड़ी की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20-4-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम नहारखेड़ी की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.410 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
- 1 कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
 - 2 भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
 - 3 संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
 - 4 संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
 - 5 कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
 - 6 भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
 - 7 अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
 - 8 भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
 - 9 भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
 - 10 कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
 - 11 यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
 - 12 भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
 - 13 शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

- 14 पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
 - 15 कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
 - 16 यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
 - 17 भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.
 18. भूमि जिस पर प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
 19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
 20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

साक्षी क्र. 2

हस्ता./-

नाम : छोटेखान

पता : 15, टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन.

पक्ष क्र. 1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.

खरगोन, दिनांक 27 नवम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

क्र. 1911-भू-अर्जन-10-राजस्व प्रकरण क्रमांक 44-अ-82-09-10.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कम्पनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतया—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 27 नवम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

- (1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम पथराड़ बुजूर्ग प. ह. नं. 18, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 09 कुल क्षेत्रफल 8.387 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम पथराड़ बुजूर्ग

अनु.क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लोभीराम पिता हरिराम भारूड सा. चिराखान	78/1 79/4 86/1	<u>0.965</u> <u>1.133</u> 0.648	पाईप लाईन-1
	योग :	3	2.746	
2.	लोभीराम पिता हरिराम भारूड सा. चिराखान	78/3	0.648	ख.नं. 86/1 की पाईप लाईन से सिंचाई.
3.	लोभीराम पिता हरिराम भारूड सा. चिराखान	78/4	2.529	ख.नं. 86/1 की पाईप लाईन से सिंचाई.
4.	बलीराम पिता गंगाराम भारूड सा. चिराखान	86/4 ख 87/1/1/ ख	<u>1.290</u> 0.405	-
	योग :	2	1.695	

5.	बलीराम पिता गंगाराम भारूड सा. चिराखान	86/6	0.498	-
		87/4	0.271	
	योग :	2	0.769	
	महोयोग :	9	8.387	

- (2) राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- (3) कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 मई 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-9-2010-सात-2-ए भोपाल, दिनांक 3 जून 2010 द्वारा भू-अर्जन की शर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.
- (4) कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि —

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—
- (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम पथराड़ बुजुर्ग की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 मई 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम पथराड़ बुजुर्ग की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 8.387 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
- 1 कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
 - 2 भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
 - 3 संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
 - 4 संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
 - 5 कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

- 6 भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
 - 7 अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
 - 8 भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
 - 9 भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
 - 10 कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
 - 11 यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
 - 12 भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
 - 13 शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
 - 14 पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
 - 15 कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
 - 16 यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
 - 17 भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
 18. भूमि जिस पर प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
 19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
 20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

साक्षी क्र. 2

हस्ता./-

नाम : छोटेखान

पता : 15, टवडी मोहल्ला,

खरगोन.

पक्ष क्र. 1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. एस-डब्ल्यू-14056-2010.—मध्यप्रदेश शासन की स्वीकृति उपरांत ग्वालियर जिले में नवीन पुलिस थाना थाटीपुर की सीमा का निर्धारण किया गया है जो निम्नानुसार है:—

पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला) जिसे अपवर्जित किया गया (1)	ग्रामों के नाम व बन्दोबस्त क्रमांक (2)	पुलिस थाने का नाम जिसे सम्मिलित किया गया (3)
मुरार	ग्राम/मोहल्ले का नाम	वार्ड/बंदो क्र.
	1. तृप्ती नगर, नदीपार टाल, श्रीनगर कालोनी, अशोक कालोनी, न्यू अशोक कालोनी, कबीर कालोनी, सिद्धेश्वर नगर, ओम नगर.	सर्वे क्र. 2902 वार्ड क्र. 20, 22
	2. शिवाजी नगर, भीम नगर, जगजीवन नगर, सुरेश नगर, जीवाजी नगर, मोहन नगर, न्यू मोहन नगर, भगवान कालोनी, द्वारिकाधीश कालोनी, गौतम नगर, 60 फुटा रोड, गल्ला कोठार, कबीर आश्रम.	वार्ड क्र. 22, 23
	3. कुम्हरपुरा, ज्योति नगर, द्वारिकाधीश कालोनी हरनामपुरा बजरिया, मैहरा गांव, मेहरा कालोनी, इन्द्रा नगर, सारिका नगर, चौहान प्याउ, कुबेर आश्रम.	वार्ड क्र. 23 थाना- थाटीपुर तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर

(1)	(2)	(3)
	4. मयूर मार्केट, मयूर नगर, वनखण्डेश्वर नगर, न्यू जीवाजी नगर, नेहरू कालोनी, न्यू नेहरू कालोनी, पी.एन.टी. कालोनी, खलीफा कालोनी, बस्ती गोदाम.	वार्ड क्र. 22
	5. दर्पण कालोनी, न्यू दर्पण कालोनी, बैरिक क्वार्टर कालोनी, गायत्री बिहार कालोनी, शांति बिहार, शक्ति बिहार, यमुना नगर, शकुन्तलापुरी, चम्बल कालोनी.	वार्ड क्र. 24
गोला का मंदिर	दुल्लपुर, विवेक नगर, न्यू विवेक नगर	वार्ड क्र. 21
विश्वविद्यालय	फोरेस्ट कालोनी, गुलाब बाग, प्रीतम बिहार कालोनी	वार्ड क्र. 30
पड़ाव	शास्त्री नगर, सत्यदेव नगर, आकाश वाडी तिराहा के पीछे पड़ने वाला सम्पूर्ण रिहायसी क्षेत्र.	वार्ड क्र. 22

अतः उक्तानुसार ग्वालियर शहर में नवीन थाना थाटीपुर की अधिसूचना शीघ्र प्रकाशित करावें.

Name of Police Station and District from which excluded (1)	Local Area Name of village and settlement/Halkas Number (2)	Sarwe No. & Ward No.	Name of Police Station with Tehsil and District from which included (3)
Morar	Trapti Nagar, Nadipar Tall, Shri Nagar Colony, Ashok Colony, New Ashok Colony, Sidheshwar Nagar, Om Nagar, Kabir Colony.	Sarwe No. 2902 Ward No. 20,22	Police Station Thatipur Tehsil-Gwalior District-Gwalior
	Shivaji Nagar, Bhim Nagar, Jugjeevan Nagar, Suresh Nagar Jiwaji Nagar, Mohan Nagar, New Mohan Nagar, Bhagwan Colony, Dwrikadhish Colony, Gautam Nagar, 60 feet Road, Galla Kothar, Kabir Ashram,	Ward No. 22,23	
	Kumharpura, Jyothi Nagar, Dwarikadhish Colony, Harnampura Bajriya, Mehra Gaun, Mehra Colony, Indra Nagar, Sarika Nagar, Chouhan Piyau, Kuber Ashram,	Ward No. 23	
	Mayur Market, Mayur Nagar, Vankhandeshwar Nagar, New Jeewaji Nagar, Nehru Colony, New Nehru Colony, P & T Colony, Khalipha Colony, Basti Godam.	Ward No. 22	
	Darpan Colony, New Darpan Colony, Thatipur Bairic Quarter, Gayatry Vihar Colony Shanti Vihar Colony, Shakti Vihar Colony, Yamuna Nagar, Shakuntlapuri, Chambal Colony.	Ward No. 24	
Gola ka Mandir	Dullpur, Vivek Nagar, New Vivek Nagar	Ward No. 21	
University	Forest Colony, Gulab Baag, Preetam Vihar Colony	Ward No. 30	
Padav	Shastri Nagar, Satyadev Nagar, Akash Vani Tiraha and all above residential area.	Ward No. 22.	

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्र. 5-अ-82-09-2010-भू.अ.अ.-बरगी.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	ग्राम-हथलेवा प.ह.नं.-58 नं. बं.-781 तह.-सिहोरा जिला-जबलपुर.	0.11	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 4, सिहोरा.	मझौली शाखा नहर की हथलेवा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2010

क्र. 4-अ-82-2009-2010-भू.अ.अ.-बरगी.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	मझौली	रजतला प.ह.नं.-67 तह.-मझौली.	0.19	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 4, सिहोरा.	मझौली शाखा नहर के अन्तर्गत उमरखिड़िया माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 6-अ-82-09-10-भू.अ.अ.-जबलपुर.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	खुड़ावल प.ह.नं. 67 नं. बं. 163 तह.-सिहोरा जिला-जबलपुर.	ख.नं. 1365 में 1 कुंआ.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 4, सिहोरा.	खुड़ावल माइनर के अन्तर्गत

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. 1339-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	सजहा	1.14	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी, (म.प्र.).	नहर के निर्माण बावत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1341-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	झाला	1.11	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.).	नहर के निर्माण बावत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1343-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	चंदैनिया	0.47	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.).	नहर के निर्माण बावत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1345-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह

भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	खम्हौनिया नं. 2	0.30	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.).	नहर के निर्माण बावत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1347-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	जोंकी	0.05	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की जोंकी माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1349-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की

धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अतरौला	0.11	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की टेल माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1351-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	लिलवार	0.04	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की टेल माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1353-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	घोपारी	0.54	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की घोपारी माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1355-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	सुड़वार	0.10	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सुड़वार माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1357-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की

धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	करकोटा	0.22	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की टेल माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1359-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	अमरा	0.036	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1361-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	बिठौली	0.02	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1363-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	डिहुली खास	0.02	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1365-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की

धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	उफरौली	0.05	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की कोदौरा माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1367-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	कोदौरा	0.17	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 एवं उसकी कोदौरा माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1369-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की

धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	बेलगांव	0.08	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. 7718-जि.भू.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	बोधिया प.ह.नं. 17/20 रा.नि.मं., बंडोल तह. सिवनी.	0.90 अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि-0.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग क्र. 1, सिवनी.	बोधिया जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण बाबद्.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, (भू-अर्जन) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7718-जि.भू.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	भाटीवाड़ा, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. भोमा, तह. सिवनी.	5.55 अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि-0.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग क्र. 1, सिवनी.	बोथिया जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण बाबद्.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7718-जि.भू.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	सरगापुर, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. भोमा, तह. सिवनी.	0.80 अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि-0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग क्र. 1, सिवनी.	बोथिया जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण बाबद्.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11-818.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नं. रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	गुना	गोलाखेडी	360 में से 0.021 362 में से 0.021 योग . . 0.042	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा, (राजस्थान).	चौराखेडी रेलवे क्रॉसिंग स्टेशन निर्माण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है.

गुना, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 11-अ-82-2009-10-838.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नं. रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	मकसूदनगढ़	गुंजारी	123 में से 0.836 योग . . 0.836	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग-गुना.	नसीरपुर-गुंजारी मार्ग निर्माण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेशचन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की

धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची (संशोधित)

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			खसरा नम्बर			
				रकबा (हेक्टर में)		
भोपाल	हुजूर	लाऊखेड़ी	92/1/1/1/1	0.068	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संधारण संभाग क्रमांक-2, भोपाल, (म.प्र.).	सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन
			92/1/1/2	0.068		
			129/2/2	0.008		
			135/1/1/2	0.040		
			209/1/1	0.036		
			210/1/2	0.036		
			128/1/5/1	0.012		
			128/1/1ख	0.012		
			128/1/2/2	0.020		
			128/1/3/1	0.028		
			212/1/1	0.060		
			200क	0.032		
			200ख	0.016		
			201/1/1	0.012		
			189/1/2/2	0.012		
			189/1/1/1	0.044		
			203/2/1	0.064		
			225-226/2/1/1	0.020		
			215/1/2/1	0.056		
			216/1/1	0.004		
			216/2/1	0.004		
			213/2	0.028		
			128/1/1क	0.056		
197/2	0.020					
199/2	0.060					
189/1/1/2/2	0.016					
	योग . .		0.832			
भोपाल	हुजूर	सिंगारचोली	35, 36, 102/	} 0.002		
			35/1/1/1/2/1			
			35, 36,	} 0.006		
			102/35/3/2/2			
			35, 36, 102/	} 0.016		
			35/3/1/2/2ख			
			35,36,102/35/3/1क	} 0.016		
35,36,102/35/3/1ख						
35, 36,	} 0.024					
102/35/1/1/4						
	योग . .		0.064			
	दोनों ग्रामों कुल रकबा . .		0.896			

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, नगरीय क्षेत्र, भोपाल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, नजूल बैरागढ़-वृत्त, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. 15637-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—हैदरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.094 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
96/1	0.459
96/2	0.459
96/3	0.459
98	0.917
100/1	1.000
100/5	0.800
कुल योग : <u>4.094</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हैदरी तालाब निर्माण अंतर्गत डूब प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 15642-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—मौलानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.600 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
92	0.200
146/1	0.400
153	1.000
कुल योग : <u>1.600</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मौलानी तालाब निर्माण अंतर्गत डूब प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2010-9110.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—नागदा

(ग) ग्राम—पाडल्याकला		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.591 हेक्टेयर.		1384	0.034
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेर में)		
(1)	(2)		
663/1 मे से	0.146	1385/2 मे से	
663/3 मे से		1385/3 मे से	
1105 मे से	0.084	1385/4 मे से	
1106/2 मे से	0.011	1385/5 मे से	
1106/2 मे से	0.094	1385/6 मे से	0.283
1106/2 मे से	0.209	1385/7 मे से	
1147/2/1 मे से	0.063	1385/8 मे से	
1109 मे से	0.030	1385/9 मे से	
1159 मे से	0.261	1389/1 मे से	0.679
1117/2 मे से	0.342	1389/1 मे से	0.021
1149 मे से	0.025	1413/1 मे से	0.084
1150 मे से	0.700	1413/3 मे से	
1154 मे से	0.094	1414/1 मे से	0.283
1157 मे से	0.084	1409/1 मे से	0.053
1158 मे से	0.199	1411/3 मे से	
1160 मे से	0.105	1411/1/1 मे से	
1160 मे से	0.198	1411/1/2 मे से	0.031
1161 मे से	0.350	1411/3 मे से	
1360 मे से	0.034	1411/4 मे से	
1361 मे से	0.020	1411/4/4 मे से	
1380/1 मे से			
1380/2 मे से			
1380/3 मे से			
1380/4 मे से			
1380/5 मे से	0.570		
1380/6 मे से			
1380/7 मे से			
1380/8 मे से			
1380/9 मे से			
1380/10 मे से			
1381/1 मे से			
1381/2 मे से			
1381/3 मे से	0.030		
1381/4 मे से			
1382/1 मे से	0.400		
1382/2 मे से			
1383 मे से	0.074		

कुल योग : 5.591

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—उज्जैन-उन्हैल-नागदा-घिनौदा-जावरा बर ओटी, टू-लेन मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का (नक्शा) प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नागदा में देखा जा सकता है.

उज्जैन, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. क्यू.-भूमि. सम्पा.-10-2741.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—तराना

- (ग) ग्राम—तिलावदी, तिलावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.64 हेक्टेयर.

ग्राम—तिलावदी	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
360 में से	0.06
362 में से	0.10
कुल योग : <u>0.16</u>	

ग्राम—तिलावद	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
821 में से	0.48
कुल योग : <u>0.64</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—तिलावद कचनारिया मार्ग पर छोटी कालीसिंध नदी पर निर्माणधीन जल मगनीय पुल के पहुंच मार्ग हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तराना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. 1371-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—सीधी	
(ख) तहसील—सिहावल	

- (ग) ग्राम—रामनगर कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.08 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1473	0.08
कुल योग : <u>0.08</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

पृ. क्र. 08-अ-82-वर्ष 2009-10-पत्र क्र.-33-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) नगर/ग्राम—गोलगांव खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.769 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
51/1	0.182
51/3	0.052
69/2	0.121
70/2	0.052

(1)	(2)
70/1	0.108
71/1,	0.129
73/1	
73/4	0.101
73/6	0.073
77/3	0.032
91/1	0.032
91/2	0.028
92/2	0.109
94/1	0.048
94/2	0.048
107	0.061
32,93	0.113
75/2	0.270
76/1	0.210
कुल योग : <u>1.769</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. 27-अ-82-भू. अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—बकस्वाहा

(ग) नगर/ग्राम—मुडिया खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.800 हेक्टेयर.
(1) निजी भूमि—1.800
(2) शास. भूमि—निरंक
योग . . <u>1.800</u>

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
25/3	0.144
28	0.277
37/2	0.120
37/3/1	0.164
37/3/2	0.020
53	0.015
54	0.048
57	0.086
62/1	0.158
63	0.048
64	0.090
71	0.030
72	0.114
73	0.174
79/1	0.192
80	0.120

कुल योग : 1.800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बकस्वाहा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र.-क्यू-भू-अर्जन-26-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(ग) ग्राम—दबरी पमारी

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—4.31 हेक्टेयर.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

(ग) ग्राम—गोंधारी

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.44 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

946

0.04

945

0.11

930

0.08

929

0.28

925

0.03

927

0.16

926

0.14

910

0.08

913

0.04

909

0.02

911

0.03

907

0.28

906

0.02

904

0.09

903

0.04

कुल योग : 1.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत (महुअर नदी के पश्चात) शाखा एम-4 मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा/प्लान का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-क्यू-भू-अर्जन-27-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

सर्वे नम्बर

क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

519

0.17

517

0.29

515

0.20

500

0.10

498

0.06

499

0.12

487

0.16

490

0.06

488

0.06

462/1

0.03

486

0.05

195

0.17

194

0.13

254/2

0.11

255

0.07

256

0.06

257

0.06

262

0.06

262/522

0.11

263

0.13

266

0.14

294

0.03

391

0.20

390

0.28

389

0.15

346

0.13

337

0.05

338

0.19

334

0.20

317

0.05

319

0.07

320

0.22

63

0.12

62

0.28

कुल योग : 4.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत (महुअर नदी के पश्चात) शाखा एम-4 मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा/प्लान का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	(1)	(2)
	312	0.02
क्र.-क्यू-भू-अर्जन-34-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	314 302 315 343 344 301 326	0.01 0.07 0.17 0.30 0.11 0.02 0.03
अनुसूची	324	0.02
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि	328	0.24
(क) जिला—शिवपुरी	69	0.14
(ख) तहसील—नरवर	70	0.09
(ग) ग्राम—रॉवकलॉ	95	0.01
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—12.04 हेक्टेयर.	63	0.12
सर्वे नम्बर	71	0.10
	62	0.25
	72	0.02
(1)	(2)	61
474	0.12	73
473	0.11	46
306	0.13	74
304	0.17	18
471	0.05	19
472	0.10	80
316	0.06	17
300	0.01	15
325	0.15	20
403	0.03	21
404	0.04	22
405	0.02	23
406	0.09	24
408	0.08	26
407	0.08	27
424	0.05	429
428	0.10	433
423	0.06	431
305	0.05	432
425	0.07	439
303	0.25	438
310	0.01	440
311	0.01	441
68	0.14	519
		0.05

(1)	(2)	(1)	(2)								
442	0.11	153	0.08								
517	0.02	185	0.12								
518	0.20	163	0.09								
520	0.04	156	0.07								
521	0.04	155	0.01								
522	0.16	157 मिन	0.07								
531	0.04	154	0.17								
527	0.02	151	0.08								
530	0.03	150	0.13								
528	0.04	132	0.13								
550	0.05	133	0.01								
551	0.17	134	0.08								
549	0.12	136	0.01								
556	0.05	16	0.13								
560	0.13	14	0.09								
558	0.11	कुल योग : <u>12.04</u>									
559	0.13	<p>(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत (महुअर नदी के आगे) की शाखा डी-7 एवं उसकी उपशाखाओं के निर्माण हेतु.</p> <p>(3) भूमि का नक्शा/प्लान का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.</p> <p>क्र.-क्यू-भू-अर्जन-35-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि</p> <p>(क) जिला—शिवपुरी</p> <p>(ख) तहसील—नरवर</p> <p>(ग) ग्राम—झण्डा</p> <p>(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—6.13 हेक्टेयर.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>सर्वे नम्बर</th> <th>क्षेत्रफल (हेक्टर में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>2038</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>2039</td> <td>0.76</td> </tr> </tbody> </table>		सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(1)	(2)	2038	0.10	2039	0.76
सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)										
(1)	(2)										
2038	0.10										
2039	0.76										
552	0.02										
557	0.22										
555	0.07										
329	0.02										
342	0.01										
333	0.05										
334	0.04										
330	0.01										
332	0.08										
349	0.18										
8	0.25										
335	0.01										
3/6	0.05										
3/7	0.12										
92	0.20										
91	0.05										
89	0.02										
90	0.06										
106	0.09										
86	0.03										
87	0.05										
88	0.04										
107	0.17										
110	0.23										
187	0.15										

(1)	(2)	(1)	(2)
2040	0.14	2081	0.10
2041	1.10	2083	0.22
2042	0.49	2088	0.08
2045	0.66	2402	0.36
2046	0.48	2410	0.05
2047	0.05	2413	0.05
2049	0.05	2414	0.06
2051	0.09	2415	0.08
2052	0.10	2416	0.11
2053	0.04	2417	0.21
2054	0.06	कुल योग : 6.13	
2055	0.04	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत समोहा पिकअप वियर के निर्माण हेतु.	
2056	0.04		
2059	0.10	(3) भूमि का नक्शा (प्लान का) विवरण भू-अर्जन अधिकारी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
2060	0.21		
2080	0.30		

संशोधित अधिसूचना

क्र. 497-भू-अर्जन-अधिसूचना क्रमांक-29-भू-अर्जन-08-09-अ-82.—दिनांक 2 जुलाई 2009 संशोधन ग्राम नावली तहसील पिछोर जिला शिवपुरी की भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक पृष्ठ 1811 एवं 1816 दिनांक 17-7-2009 एवं धारा-6 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का म. प्र. राजपत्र भाग एक के पृष्ठ संख्या 2665 दिनांक 20-11-2009 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है जिसमें निम्नानुसार प्रकाशित त्रुटिपूर्ण के स्थान पर संशोधित प्रविष्ट अनुसार पढ़ा जावें:—

त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट						संशोधित प्रविष्टि					
जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकवा हेक्टर	सर्वे नं.	रकवा हेक्टर	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकवा हेक्टर	सर्वे नं.	रकवा हेक्टर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	पिछोर	नावली	243.74	92	2.05	शिवपुरी	पिछोर	नावली	243.09	92	0.58
				102	0.21					102	0.01
				655	0.15					655	2.15

संशोधित अधिसूचना

क्र. 504-भू-अर्जन- 2008-09-अ-82-अधिसूचना क्रमांक-29-भू-अर्जन-08-09-अ-82.—दिनांक 2 जुलाई 2009 संशोधन ग्राम पिपरौनिया तहसील पिछोर जिला शिवपुरी की भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक पृष्ठ 1818 दिनांक 17-7-2009 एवं धारा-6 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का म. प्र. राजपत्र भाग एक के पृष्ठ संख्या 2669 दिनांक 20-11-2009 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है जिसमें निम्नानुसार प्रकाशित त्रुटिपूर्ण के स्थान पर संशोधित प्रविष्ट अनुसार पढ़ा जावें:—

त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट						संशोधित प्रविष्टि					
जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकवा हेक्टर	सर्वे नं.	रकवा हेक्टर	जिला	तहसील	ग्राम	कुल रकवा हेक्टर	सर्वे नं.	रकवा हेक्टर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	पिछोर	पिपरौनिया	46.32	45	0.32	शिवपुरी	पिछोर	पिपरौनिया	46.32	47	0.32

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-2008-09-कले.-814.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना
(ग) नगर/ग्राम—हिरनोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.522 हेक्टेयर.

खसरा सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10/10 (8क)	0.167
10/11	0.355
योग :	0.522

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बांडिया नाला मुख्य नहर की 5-आर उपनहर निर्माण योजना.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2008-09-कले.-816.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना
(ग) नगर/ग्राम—श्यामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.189 हेक्टेयर.

खसरा सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
36/1/2/2	0.150
36/3 मि.	0.065

(1) (2)

36/3 मि.	0.060
36/4	0.155
36/6	0.180
43/2	0.324
43/5	0.255

योग : 1.189

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बांडिया नाला मुख्य नहर की 5-आर उपनहर निर्माण योजना.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र.-10050-भू-अर्जन-2010.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिंदवाड़ा
(ख) तहसील—तामिया
(ग) नगर/ग्राम—बीजाढाना, प.ह.नं.-13 ब.नं.-120 रा.नि. मंडल तामिया
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—07.216 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तिया

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
01	07.216
योग :	07.216

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा तामिया पातालकोट क्षेत्र के लिये पर्यटन विकास के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	(1) 113 114 115	(2) 0.10 0.27 0.02
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव जिला-छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है.	120 123 172	0.02 0.02 0.10
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय तहसीलदार तामिया जिला-छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है.	187 188 189	0.02 0.02 0.02
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	190 191 192	0.01 0.01 0.17
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	193 194 195	0.07 0.26 0.02
दतिया, दिनांक 1 दिसम्बर 2010	248 249/1	0.21 0.07
क्र.-1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	250/2 265/2 265/3 266 268 269 270	0.07 0.07 0.04 0.12 0.16 0.08 0.09
अनुसूची	271	0.13
(1) भूमि का वर्णन—	288	0.04
(क) जिला—दतिया	289	0.03
(ख) तहसील—दतिया	291	0.03
(ग) ग्राम—सिजौरा	292	0.03
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.48 हेक्टेयर.	295 296	0.04 0.12
खसरा नं.	297	0.01
	रकबा (हेक्टर में)	305
(1)	(2)	306
25	0.15	307
40	0.06	308
40/1340	0.20	327
43	0.12	329
62	0.04	351
64	0.01	352
65	0.10	353
66	0.15	354
71	0.06	391/1
73	0.03	394
95	0.14	395
96	0.28	397
97	0.07	398
98	0.01	399
107	0.02	423

(1)	(2)	(1)	(2)
422/1	0.03	742/3	0.02
424	0.02	743	0.34
425	0.10	744	0.09
426	0.01	745	0.27
431	0.09	751	0.05
432	0.05	752	0.16
433	0.05	753	0.15
434	0.08	754	0.07
435	0.05	755	0.08
439	0.04	756	0.01
440	0.06	757	0.01
444	0.02	760	0.07
445	0.04	761	0.14
446	0.05	794	0.16
447	0.03	795	0.07
460	0.06	796	0.07
461	0.07	797	0.07
462	0.03	798	0.07
463	0.02	799	0.12
464	0.02	803	0.05
477	0.03	804	0.13
578	0.10	805	0.11
580	0.07	813	0.11
581	0.03	814/1	0.14
582	0.02	814/2	0.18
583	0.11	838	0.02
596	0.12	839	0.01
597	0.06	840	0.01
601	0.02	869	0.10
603	0.01	870	0.02
678	0.08	876	0.03
679	0.15	877	0.20
681	0.03	891	0.09
687	0.05	892	0.04
688	0.01	893	0.11
689	0.11	894	0.05
691	0.03		
703	0.10		
704	0.04		
705	0.12		
706	0.04		
711	0.02		
712	0.11		
713	0.04		
714	0.04		
715	0.17		
724	0.04		
725	0.21		
726	0.26		
			योग : 11.48
		(2)	सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता.—सिंध परियोजना आर.बी.सी. (महुअर नदी पश्चात्) शाखा डी-7 एवं 9 एल, 8 आर, 9 आर एवं 10 आर शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
		(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
			क्र.-2-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—कमथरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.85 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
235	0.04
236	0.06
244	0.02
237	0.04
243	0.22
245	0.10
246	0.14
248	0.05
249	0.15
250	0.06
273	0.15
275	0.01
276	0.10
277	0.11
351	0.60

योग : 1.85

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता.—सिंध परियोजना आर.बी.सी. पश्चात् मुख्य नहर की उपशाखाओं एल.एम.-12 के निर्माण कार्य.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्टर दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

प्र. क्र.-17-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—पडुआ प. ह. नं. 34, न. बं. 160
(घ) लगभग क्षेत्रफल—एक पक्का कुंआ

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20 पर स्थित	एक पक्का कुंआ

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—जमुनिया माइनर नं. एक के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा., सागर परियोजना इकाई क्र. (2), बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

क्र.-3 बी-121-04-05.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—बम्हनौदा प. प. नं. 49, न. बं. 74
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12996 वर्गफुट

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
44 आबादी पर निर्मित 6 मकान	12996 वर्गफुट

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बरगी व्यापवर्तन परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के एक्सटेंशन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा., सागर परियोजना इकाई क्र. (2), बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 1st December 2010

No. B-4961-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994), Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates Hon'ble Shri Justice Ajit Singh, Judge of High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat Jabalpur, as Chariman of High Court Legal Services Committee, with immediate effect.

By order and in the name of
Hon'ble the Chief Justice,
TARUN KUMAR KAUSHAL, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2010

क्र. C-6937-दो-2-56-2010.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 28 से 30 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6939-दो-3-33-2006.—श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद को दिनांक 29 से 30 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6941-दो-2-3-2008.—श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 20 से 22 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6943-दो-2-29-2009.—श्री शम्भू दयाल दुबे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), इंदौर को दिनांक 19 से 21 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री शम्भू दयाल दुबे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शम्भू दयाल दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6985-दो-2-49-2007.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 18 से 25 अक्टूबर 2010 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 18 अक्टूबर 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-6987-दो-3-66-2002.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 1 से 12 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6989-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 नवम्बर 2010 के एवं पश्चात में दिनांक 4 से 7 नवम्बर 2010 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-6991-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 29 से 30 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28

नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6992-दो-2-53-2007.—श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 27 से 29 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4789-दो-3-14-2006.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-4791-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 23 से 26 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4793-दो-2-11-2005.—श्री एम. के. मुदगल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. मुदगल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. मुदगल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4795-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 25 से 27 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-4797-दो-3-123-2000.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2010

क्र. 462-स्था.सैट-2010.—श्री हरीश कांत दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर को दिनांक 15 से 19 नवम्बर 2010 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही पूर्व, पश्चात में पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री हरीश कांत दुबे जी को अस्थाई रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 468-स्था.सैट-2010.—श्रीमती महारूख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 26 से 28 अक्टूबर 2010 तक कुल 3 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश काल में श्रीमती महारूख जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती महारूख जिल्ला अवकाश पर नहीं जाती तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. अतः अवकाश अवधि दिनांक 26 से 28 अक्टूबर 2010 को मूलभूत नियम 25 (ब) (2) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार कम पी. पी. एस..

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. 1149-गोपनीय-2010-दो-2-10-62 (भाग-पांच)-
शुद्धि-पत्र.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1136-गोपनीय-2010-दो-2-10-62-भाग-5, दिनांक 24-11-2010 की सारणी के सरल क्रमांक 14 पर अंकित श्री रितुराज बसंत कुमार के नाम के सामने स्तम्भ क्रमांक (3) पर अंकित चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक "1-9-2010" के स्थान पर चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक "1-9-2009" पढ़ा जावे.

जबलपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. 1157-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री रामजी गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सागर के संबंध में जारी स्थानांतरण आदेश क्रमांक 1142-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए), दिनांक 24-11-2010 को आगामी आदेश तक स्थगित रखते हुये, उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री रामजी गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सागर.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सागर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

Jabalpur, the 1st December 2010

No. 1168-2010-II-15-4-10 (Ch.).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-rule (1) of Rule 1 of Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961 and all other enabling provisions, the High Court of M. P. hereby suspend Notification(s) No. B-4772 dated 18-11-2010 and No. B-4774 dated 18-11-2010 extending working hours of Notified Courts until further orders, with immediate effect.

It is made clear that the Notification(s) No. B-4772 dated 18-11-2010 and No. B-4774 dated 18-11-2010 are kept in abeyance until further orders.

जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. 1165-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-दो) .— मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत न्यायालय के सृजन के संबंध में जारी अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 83-2003-21-ब (एक) दिनांक 16 सितम्बर 2010 एवं न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति दर्शित करने वाली अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 83-2003-21-ब (एक) दिनांक 16 सितम्बर 2010 के तारतम्य में एवं मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-3-2007-तेरह दिनांक 5 जुलाई 2008 द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत 10 न्यायालयों के संदर्भ में, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-8, विद्युत अधिनियम, 2003, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

क्र. C-6898-दो-3-97-2009.—श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 27 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय हो होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (डी. ई.) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4787-दो-3-16-2007.—श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 6 से 10 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 दिसम्बर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 11 से दिनांक 12 दिसम्बर 2010 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर दिनांक 4 दिसम्बर 2010

क्र. C-6935-दो-3-102-2000.—श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. 1136-गोपनीय-2010-दो-2-10-62 (भाग-पांच).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों (प्रवेश स्तर) उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लिखित रिक्त पदों पर चयन ग्रेड (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.	नाम तथा पदनाम	चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कुमारी मीना सिंह	10-10-2007	पूर्व से आरक्षित रिक्त पद पर
2	श्री मृत्युंजय सिंह	22-8-2008	रिक्त पद पर

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री संजीव दत्ता	9-9-2008	रिक्त पद पर
4	श्री ऋषभ कुमार सिंघई	24-9-2008	रिक्त पद पर
5	श्री रवि कुमार नायक	30-9-2008	रिक्त पद पर
6	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा	19-11-2008	रिक्त पद पर
7	श्री तारकेश्वर सिंह	15-12-2008	रिक्त पद पर
8	श्री अमरनाथ (केशरवानी)	19-12-2008	रिक्त पद पर
9	श्री अरविंद कुमार शुक्ला	31-8-2009	रिक्त पद पर
10	श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर	31-8-2009	श्री अरविंद कुमार शुक्ला, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.
11	स्वर्गीय श्री देवेश कुमार गोयल	31-8-2009	रिक्त पद पर
12	श्री चन्द्र मोहन गर्ग	1-9-2009	रिक्त पद पर
13	श्री श्रीराम दिनकर	1-9-2009	श्री चन्द्र मोहन गर्ग, चयन ग्रेड धारक के अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-1, विद्युत अधिनियम, 2003, भोपाल के पद पर नियुक्त होने से हुए रिक्त पद पर.
14	श्री रितुराज बसंत कुमार	1-9-2010	रिक्त पद पर
15	श्री महेश भदकारिया	2-9-2009	रिक्त पद पर
16	श्री भाऊराव पाटिल	10-9-2009	रिक्त पद पर
17	श्री लीलाधर बोरासी	19-9-2009	रिक्त पद पर
18	कुमारी शोभा पोरेवाल	19-9-2009	श्री लीलाधर बोरासी, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.
19	श्री दीप कुमार केशरवानी	21-9-2009	रिक्त पद पर
20	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर)	22-9-2009	रिक्त पद पर
21	श्री अविनाश कुमार खरे	22-9-2009	रिक्त पद पर
22	श्री प्रभात कुमार मिश्रा	25-9-2009	रिक्त पद पर
23	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनियर)	30-9-2009	रिक्त पद पर
24	श्री लाल सिंह दुवासा	30-9-2009	रिक्त पद पर
25	श्रीमती भगवती चौधरी	6-10-2009	रिक्त पद पर
26	श्री माईकल सेमुअल	8-10-2009	रिक्त पद पर
27	डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे	31-10-2009	रिक्त पद पर
28	श्रीमती सईदा बानो रहमान	22-5-2010	रिक्त पद पर
29	श्री अनिल कुमार मोहनिया	22-5-2010	रिक्त पद पर
30	श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनियर)	22-5-2010	रिक्त पद पर

क्र. 1138-Confdl.-2010-दो-2-21-63 (भाग-पांच).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 70290—1540—76450/- में नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री करीम दाद खान, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	19-12-2008	रिक्त पर पर.
2.	श्री ओम प्रकाश दुबे (जूनियर) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा.	01-09-2009	रिक्त पर पर.
3.	श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी.	22-09-2009	रिक्त पर पर.
4.	श्री राम कुमार गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.	25-09-2009	रिक्त पद पर.
5.	श्री हेम कुमार दुबे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्तमान में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.	25-09-2009	श्री राम कुमार गोस्वामी, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के पद पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
6.	श्रीमती सरोज महेन्द्र जैन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इन्दौर.	22-05-2010	श्री करीम दाद खान, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
7.	श्रीमती कुमुदबाला बारणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.	22-05-2010	श्रीमती सरोज महेन्द्र जैन, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
8.	श्री राजकुमार पाण्डे, जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	01-08-2010	श्री हेम कुमार दुबे, सुपर समय वेतनमान धारक के दिनांक 31-07-2010 को सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुए पद पर.
9.	श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर.	01-08-2010	श्री राजकुमार पाण्डे, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	श्री बलवीर सिंह परमार, जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर.	13-09-2010	श्रीमती विमला जैन, सुपर समय वेतन- मान धारक तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उन्नयन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर.
11.	श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना.	13-09-2010	श्री बलवीर सिंह परमार, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

क्र. 1142-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री राम सिंह कनौजिया	अनूपपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 नरसिंहपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर की हैसियत से.
2.	श्री रामजी गुप्ता	सागर	अनूपपुर	अनूपपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्र. 1144-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, आदेश क्रमांक 549-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए-बी), दिनांक 29 जून, 2010 को आंशिक रूप से अधिष्ठित करते हुए एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 483-ए-गोपनीय-2010-दो-3-68-07, दिनांक 11-6-2010 के तहत जारी निर्देशों को यथावत रखते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	श्री कमलेश कुमार इटावडिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जोबट, जिला अलीराजपुर की हैसियत से.
2.	श्री संजय पाल सिंह बुंदेला	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, कोतमा, जिला अनूपपुर की हैसियत से.
3.	श्री केशव मणी सिंघल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अशोकनगर की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)
4.	श्री दिलीप गुप्ता	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, चंदेरी, जिला अशोकनगर की हैसियत से.
5.	श्री आलोक कुमार सक्सेना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सेंधवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंधवा, जिला बड़वानी की हैसियत से.
6.	श्रीमती दीपिका मालवीय	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैतूल की हैसियत से.
7.	श्री जाकिर हुसैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मुलताई, जिला बैतूल की हैसियत से.
8.	श्री रतन कुमार वर्मा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भिण्ड की हैसियत से.
9.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनि.)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, लहार, जिला भिण्ड की हैसियत से.
10.	श्री गंगाचरण दुबे	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल की हैसियत से.
11.	श्री आमोद आर्य	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैरसिया, जिला भोपाल की हैसियत से.
12.	श्री प्रदीप कुशवाह	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छतरपुर की हैसियत से.
13.	कु. शारदा नहाटे	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बिजावर, जिला छतरपुर की हैसियत से.
14.	श्री भूभास्कर यादव	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छिन्दवाड़ा की हैसियत से.
15.	कु. मंजुलता चतुर्वेदी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, दमोह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह की हैसियत से.
16.	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, हटा, जिला दमोह की हैसियत से.
17.	श्री अनिल कुमार छापरिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, दतिया की हैसियत से.
18.	श्री मुकेश कुमार बाथम	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सेवड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेवड़ा, जिला दतिया की हैसियत से.
19.	श्री राज कुमार वर्मा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, देवास की हैसियत से.
20.	श्री साबिर अहमद खान	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, कन्नौद, जिला देवास की हैसियत से.
20-A	श्रीमती सविता सिंह	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, धार की हैसियत से.
21.	श्री सुनील मालवी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मनावर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मनावर, जिला धार की हैसियत से.
22.	श्री सुरेन्द्र मेश्राम	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, डिण्डौरी की हैसियत से.
23.	श्री राजेन्द्र चौरसिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, खण्डवा की हैसियत से.
24.	श्री मुकेश कुमार डांगी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गुना की हैसियत से.
25.	रामब्रेश (यादव)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, ग्वालियर की हैसियत से.
26.	श्री ठाकुर दास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, डबरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, डबरा, जिला ग्वालियर की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)
27.	श्री राजीव के. पाल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, हरदा की हैसियत से.
28.	श्रीमती दीपाली शर्मा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, होशंगाबाद की हैसियत से.
29.	श्री जयदीप सिंह	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद की हैसियत से.
30.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर की हैसियत से.
31.	श्री अजय कुमार सिंह	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर की हैसियत से.
32.	श्री राकेश कुमार सिंह (जून.)	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पाटन, जिला जबलपुर की हैसियत से.
33.	श्री दिनेश कुमार खटीक	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, थांदला के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, थांदला, जिला झाबुआ की हैसियत से.
34.	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटनी की हैसियत से.
35.	श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मण्डला की हैसियत से.
36.	श्री अरविन्द कुमार गोयल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मंदसौर की हैसियत से.
37.	श्री हेमन्त जोशी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गरोंठ, जिला मंदसौर की हैसियत से.
38.	श्री अरविन्द कुमार (जैन)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से.
39.	श्री राम बिलास गुप्ता	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अम्बाह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अम्बाह, जिला मुरैना की हैसियत से.
40.	श्री अशोक कुमार सोंधिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर की हैसियत से.
41.	श्री राकेश कुमार गोयल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मनासा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मनासा, जिला नीमच की हैसियत से.
42.	श्री अरुण कुमार खराडी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-पवई, जिला पन्ना की हैसियत से.
43.	श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रायसेन की हैसियत से.
44.	श्री राजेन्द्र कुमार बाथम	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बरेली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बरेली, जिला रायसेन की हैसियत से.
45.	श्री प्रहलद सिंह केमथिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ब्यावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ब्यावरा, जिला राजगढ़ की हैसियत से.
46.	श्रीमती नोरिन निगम	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रतलाम की हैसियत से.
47.	श्री राजेश नन्देश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जावरा, जिला रतलाम की हैसियत से.
48.	कु. प्रतिभा साठवने	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रीवा की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)
49.	श्री उमा शंकर शर्मा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिरमौर, जिला रोवा की हैसियत से.
50.	श्री कृपा शंकर शाक्य	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, खुरई, जिला सागर की हैसियत से.
51.	श्री संजय कुमार पाण्डे	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सतना की हैसियत से.
52.	श्री सुजीत कुमार सिंह	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नागौद, जिला सतना की हैसियत से.
53.	श्री अरुण श्रीवास्तव	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर की हैसियत से.
54.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जून.)	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बुदनी, जिला सीहोर की हैसियत से.
55.	श्री राजेश कुमार रावतकर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिवनी की हैसियत से.
56.	श्री राजदीप सिंह ठाकुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, लखनादौन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, लखनादौन, जिला सिवनी की हैसियत से.
57.	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शहडोल की हैसियत से.
58.	श्री अशोक कुमार शर्मा (जून. 2)	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, शाजापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, शाजापुर की हैसियत से.
59.	श्री वैभव मण्डलोई	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, आगर, जिला शाजापुर की हैसियत से.
60.	श्री अशोक गुप्ता	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, श्योपुर की हैसियत से.
61.	श्री मसूद अहमद खान	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी की हैसियत से.
62.	श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनि.)	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, करैरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, करैरा, जिला शिवपुरी की हैसियत से.
63.	श्री गालिब रसूल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सीधी की हैसियत से.
64.	श्री दयाराम अहिरवार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मझौली, जिला सीधी की हैसियत से.
65.	श्री माखनलाल झोड़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, बैदुन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैदुन, जिला सिंगरौली की हैसियत से.
66.	श्री मुन्नालाल राठौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, टीकमगढ़ की हैसियत से.
67.	श्री तरुण राकेश स्टेण्डली	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, निवाड़ी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ की हैसियत से.
68.	श्री बलराज कुमार पलोदा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उज्जैन की हैसियत से.
69.	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, महिदपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, महिदपुर, जिला उज्जैन की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)
70.	श्री जवाहर सिंह मरकाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, उमरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-बिरसिंहपुर-पाली, जिला उमरिया की हैसियत से.
71.	श्री गंगाचरण शर्मा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, विदिशा की हैसियत से.
72.	श्री संजय कुमार कस्तवार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, सिरोंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिरोंज, जिला विदिशा की हैसियत से.
73.	श्री सुर सिंह कन्नौज	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मण्डलेश्वर की हैसियत से.
74.	श्री कैलाश प्रसाद मरकाम	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भीकनगांव, जिला मण्डलेश्वर की हैसियत से.

टिप्पणी :—

- (1) उपरोक्त न्यायिक अधिकारी विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-3835-21-ब(एक), दिनांक 23-11-2010 के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय भी नियुक्त किये गये हैं, अतः वे ग्राम न्यायालय की बैठक के संबंध में जारी की गई अधिसूचना के पालन में प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित करेंगे.
- (2) गुना में पदस्थ ग्राम न्यायाधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को चाचौड़ा ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित करेंगे.
- (3) पवई, जिला पन्ना में पदस्थ ग्राम न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना के द्वारा तय किये गये किन्हीं दो सप्ताहों के सोमवार एवं शुक्रवार (अर्थात् माह में कुल 4 दिवस) को पन्ना जिला मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित करेंगे.
- (4) इस आदेश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 1142-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-ए), दिनांक 24-11-2010 द्वारा नरसिंहपुर एवं अनूपपुर पदस्थापना पर पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-3835-21-ब(एक) दिनांक 23-11-2010 के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय भी नियुक्त किये गये हैं, अतः वे ग्राम न्यायालय की बैठक के संबंध में उक्त अधिसूचना के पालन में प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित करेंगे.
- (5) श्री बलराम यादव, श्री संदीप कुमार पाटिल, श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी एवं श्री विवेक सक्सेना अपने पदस्थापना के जिले क्रमशः सागर, बालाघाट, बड़वानी एवं बुरहानपुर में अपने वर्तमान पद पर रहते हुए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित करेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 30th November 2010

No. B-4929-I-7-3-2010(Part-I).—It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2011.

Summer Vacation :—From Monday 23rd May to Friday 17th June, 2011

Winter Vacation :—From Wednesday 21st December to Saturday 31st December, 2011.

Sr. No. (1)	Name of Holidays (2)	Dates as per Gregorian Calendar (3)	Days of Week (4)
1.	New Year's Day	1-1-2011	Saturday
2.	Makar Sankranti	14-1-2011	Friday
3.	Republic Day	26-1-2011	Wednesday
4.	Id-Milad-Un-Nabi	16-2-2011	Wednesday
5.	Mahashivratri	2-3-2011	Wednesday
6.	Ramnavmi	12-4-2011	Tuesday
7.	Dr. Ambedkar Jayanti	14-4-2011	Thursday
8.	Buddh Purnima	17-5-2011	Tuesday
9.	Independence Day	15-8-2011	Monday
10.	Janmashtmi	22-8-2011	Monday
11.	Id-Ul-Fitar	31-8-2011	Wednesday
12.	Ganesh Chaturthi	1-9-2011	Thursday
13.	Sarvapitramoksha Amavasya	27-9-2011	Tuesday
14.	Dussehra (6-10-2011)		
	Mahaashtmi	4-10-2011	Tuesday
	Mahanavmi	5-10-2011	Wednesday
		6-10-2011	Thursday
		7-10-2011	Friday
15.	Deepawali (26-10-2011)	25-10-2011	Tuesday
		26-10-2011	Wednesday
		27-10-2011	Thursday
		28-10-2011	Friday
16.	Id-Ul-Zuha	7-11-2011	Monday
17.	Gurunanak Jayanti	9-11-2011	Wednesday
18.	Moharrum	6-12-2011	Tuesday

TOTAL :—24 Days

NOTES :—

- Holi (Dhuredi) dated 20-3-2011, Gandhi Jayanti dated 2-10-2011, Christmas Day dated 25-12-2011 falls on sunday & Mahavir Jayanti dated 16-4-2011, Raksha Bandhan dated 13-8-2011 falls on closed saturday therefore these holidays are not declared separately.
- Saturdays falling on 8th & 15th January, 12th & 19th February, 12th & 19th March, 9th & 16th April, 14th & 21st May, 11th & 18th June, 9th & 16th July, 13th & 20th August, 10th & 17th September, 8th & 15th October, 12th & 19th November, 10th & 17th December will be closed Saturdays of High Court.
- Summer Vacation of High Court shall be from 23rd May 2011 to 17th June, 2011 and Winter Vacation from 21st December 2011 to 31st December, 2011.
- Saturday falling on 7th May 2011 shall be a Court working day.

By order of the High Court,
T. K. KAUSHAL, Registrar General.

**CALENDAR OF HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR
FOR THE YEAR 2011**

Days	JANUARY					FEBRUARY					MARCH				
SUN.	30	2	9	16	23	6	13	20	27	6	13	20	27		
MON.	31	3	10	17	24	7	14	21	28	7	14	21	28		
TUE.		4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22		
WED.		5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23		
THU.		6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24		
FRI.		7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25		
SAT.	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26		
Days	APRIL					MAY					JUNE				
SUN.		3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	
MON.		4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	
TUE.		5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	
WED.		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	
THU.		7	14	21	28	5	12	19	26		2	9	16	23	
FRI.	1	8	15	22	29	6	13	20	27		3	10	17	24	
SAT.	2	9	16	23	30	7	14	21	28		4	11	18	25	
Days	JULY					AUGUST					SEPTEMBER				
SUN.	31	3	10	17	24	7	14	21	28	4	11	18	25		
MON.		4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	
TUE.		5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	
WED.		6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	
THU.		7	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15	22	
FRI.	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	
SAT.	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
Days	OCTOBER					NOVEMBER					DECEMBER				
SUN.	30	2	9	16	23	6	13	20	27	4	11	18	25		
MON.	31	3	10	17	24	7	14	21	28	5	12	19	26		
TUE.		4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20		
WED.		5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21		
THU.		6	13	20	27	3	10	17	24		1	8	15		
FRI.		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16		
SAT.	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17		



Sundays & Holidays



Closed Saturday for Registry



Vacation



Court Working Saturday

**TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT
FOR THE YEAR 2011**

Sr. No. (1)	Name of Holidays (2)	Dates as per Gregorian Calendar (3)	Days of Week (4)
1	Republic Day	26-1-2011	Wednesday
2	Id-Milad-Un-Nabi	16-2-2011	Wednesday
3	Mahashivratri	2-3-2011	Wednesday
4	Gudi-Padwa	4-4-2011	Monday
5	Ramnavmi	12-4-2011	Tuesday
6	Dr. Ambedkar Jayanti	14-4-2011	Thursday
7	Mahavir Jayanti	16-4-2011	Saturday
8	Good Friday	22-4-2011	Friday
9	Buddh Purnima	17-5-2011	Tuesday
10	Independence Day	15-8-2011	Monday
11	Janmashtmi	22-8-2011	Monday
12	Id-UI-Fitar	31-8-2011	Wednesday
13	Ganesh Chaturthi	1-9-2011	Thursday
14	Sarvapitramoksha Amavasya	27-9-2011	Tuesday
15	Dussehra (6-10-2011)		
	Mahaashtmi	4-10-2011	Tuesday
	Mahanavmi	5-10-2011	Wednesday
		6-10-2011	Thursday
16	Deepawali (26-10-2011)	25-10-2011	Tuesday
		26-10-2011	Wednesday
		27-10-2011	Thursday
		28-10-2011	Friday
17	Id-UI-Zuha	7-11-2011	Monday
18	Gurunanak Jayanti	9-11-2011	Wednesday
19	Moharrum	6-12-2011	Tuesday

TOTAL :—24 Days




NOTES :—

- Holi (Dhuredi) dated 20-3-2011, Gandhi Jayanti dated 2-10-2011, Christmas Day dated 25-12-2011 falls on Sunday & Raksha Bandhan dated 13-8-2011 falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.
- Saturdays falling on 8th January, 12th February, 12th March, 9th April, 14th May, 11th June, 9th July, 13th August, 10th September, 8th October, 12th November, 10th December will be closed Saturdays for Subordinate Courts.
- Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 23rd May 2011 to 17th June, 2011 and Winter Vacation from 26th December 2011 to 31st December, 2011.
- Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.
- The District Judge of the concerned district shall declare three local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
- The Saturday of every month (except Second Saturday) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B-2380-III-6-8-85 Pt-II dt. 26-5-2010.

T. K. KAUSHAL, Registrar General.

**TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF
MADHYA PRADESH FOR THE YEAR 2011**

Days	JANUARY					FEBRUARY					MARCH				
SUN.	30	2	9	16	23	6	13	20	27	6	13	20	27		
MON.	31	3	10	17	24	7	14	21	28	7	14	21	28		
TUE.		4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22		
WED.		5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23		
THU.		6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24		
FRI.		7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25		
SAT.	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26		
Days	APRIL					MAY					JUNE				
SUN.		3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	
MON.		4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	
TUE.		5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	
WED.		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	
THU.		7	14	21	28	5	12	19	26		2	9	16	23	
FRI.	1	8	15	22	29	6	13	20	27		3	10	17	24	
SAT.	2	9	16	23	30	7	14	21	28		4	11	18	25	
Days	JULY					AUGUST					SEPTEMBER				
SUN.	31	3	10	17	24	7	14	21	28	4	11	18	25		
MON.		4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19		
TUE.		5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20		
WED.		6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21		
THU.		7	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15		
FRI.	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16		
SAT.	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17		
Days	OCTOBER					NOVEMBER					DECEMBER				
SUN.	30	2	9	16	23	6	13	20	27	4	11	18	25		
MON.	31	3	10	17	24	7	14	21	28	5	12	19	26		
TUE.		4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20		
WED.		5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21		
THU.		6	13	20	27	3	10	17	24		1	8	15		
FRI.		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16		
SAT.	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17		

-  Sundays & Holidays
 Closed Saturday
 Vacation

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.रा.- -10-11-306.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु मां भगवती शुगर मिल लि., बकतरा, बुधनी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दशाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	सीहोर/बुधनी	मिल द्वार	24	293.20
2	रायसेन/बरेली	—''—	29	565.20
3	होशंगाबाद/बाबई	—''—	106	55.10
योग :			159	913.50

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

मां भगवती शुगर मिल, बकतरा, बुधनी, सीहोर ग्रामों की सूची वर्ष 2010-11

क्र. (1)	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम (2)	-तहसील (3)	जिला (4)	गन्नों का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) (5)	फैक्ट्री से सड़क दूरी (कि.मी.) (6)
1	जोनतला	बुधनी	सीहोर	76.30	03
2	बकतरा	बुधनी	सीहोर	70.66	03
3	बोरना	बुधनी	सीहोर	7.20	15
4	मछवाई	बुधनी	सीहोर	6.00	08
5	पिपलिया	बुधनी	सीहोर	0.60	13
6	नारायणपुर	बुधनी	सीहोर	2.00	15
7	आमोन	बुधनी	सीहोर	20.62	06
8	हथनौरा	बुधनी	सीहोर	2.94	15
9	बनेटा	बुधनी	सीहोर	0.80	20
10	नांदनेर	बुधनी	सीहोर	6.54	10
11	ठीकरी	बुधनी	सीहोर	16.55	05
12	जैत	बुधनी	सीहोर	1.02	11
13	हिगनासिर	बुधनी	सीहोर	0.40	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	गादर	बुधनी	सीहोर	2.60	14
15	चीखली	बुधनी	सीहोर	5.52	15
16	शियागेन	बुधनी	सीहोर	17.64	02
17	कोशमी	बुधनी	सीहोर	15.00	03
18	सागपुर	बुधनी	सीहोर	6.90	05
19	नीमटोन	बुधनी	सीहोर	8.92	18
20	खितवाई	बुधनी	सीहोर	4.64	05
21	सिलगेना	बुधनी	सीहोर	1.93	12
22	विसेर	बुधनी	सीहोर	15.61	17
23	खवादा	बुधनी	सीहोर	0.80	10
24	बांसापुर	बुधनी	सीहोर	2.00	22
				कुल योग : 293.20	
1	दिगवाड़	बरेली	रायसेन	30.73	5
2	देहरी कला	बरेली	रायसेन	35.58	21
3	गाजीखेड़ी	बरेली	रायसेन	0.60	12
4	कुटनासिर	बरेली	रायसेन	7.20	08
5	खपरिया	बरेली	रायसेन	3.16	11
6	नानपोन	बरेली	रायसेन	1.50	09
7	सगोनिया	बरेली	रायसेन	4.97	07
8	गड़वास	बरेली	रायसेन	254.72	16
9	भारकच्छ	बरेली	रायसेन	4.76	11
10	जमोनिया	बरेली	रायसेन	3.64	17
11	किसनपुर	बरेली	रायसेन	1.00	16
12	ढीमनढाना	बरेली	रायसेन	2.00	32
13	बांसपिपरिया	बरेली	रायसेन	0.21	25
14	हरसिली	बरेली	रायसेन	19.47	23
15	चारगांव	बरेली	रायसेन	9.76	25
16	बाड़ी	बरेली	रायसेन	29.43	18
17	सनखेड़ा	बरेली	रायसेन	11.76	16
18	बड़ोदिया	बरेली	रायसेन	81.90	08
19	धांधला	बरेली	रायसेन	0.71	19
20	चंदपुरा	बरेली	रायसेन	1.42	14
21	खांडावर	बरेली	रायसेन	2.09	07
22	केवलाझिर	बरेली	रायसेन	4.00	13
23	भैंसाया	बरेली	रायसेन	1.55	07
24	छो. भारकच्छ	बरेली	रायसेन	3.90	33
25	डामडोंगरी	बरेली	रायसेन	1.00	65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	मालझिर	बरेली	रायसेन	0.08	17
27	मनकापुर	बरेली	रायसेन	14.20	22
28	शिवतला	बरेली	रायसेन	14.96	15
29	गूगलवाड़ा	बरेली	रायसेन	18.90	13
				कुल योग : 565.20	
1	ढाना	बाबई	होशंगाबाद	1.25	12
2	बाबई	बाबई	होशंगाबाद	0.42	27
3	रजोन	बाबई	होशंगाबाद	0.64	12
4	बुधवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.22	33
5	मुढापार	बाबई	होशंगाबाद	0.80	35
6	शिवपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.37	40
7	सिमरौदा	बाबई	होशंगाबाद	0.25	38
8	खेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.30	39
9	तालकेशरी	बाबई	होशंगाबाद	0.45	39
10	गुलारिया कला	बाबई	होशंगाबाद	0.60	37
11	सिलारी खुर्द	बाबई	होशंगाबाद	0.63	30
12	बहारपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.36	31
13	गोल	बाबई	होशंगाबाद	0.46	33
14	बम्हौरी कला	बाबई	होशंगाबाद	0.82	43
15	ऑखमरु	बाबई	होशंगाबाद	0.52	30
16	गुजरवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.43	33
17	काजल खेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.45	36
18	कोटगांव	बाबई	होशंगाबाद	0.44	37
19	काश खेड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.60	38
20	अल्ला खेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.82	40
21	मेघाली	बाबई	होशंगाबाद	0.62	39
22	गुलोन	बाबई	होशंगाबाद	0.55	41
23	मोहगांव	बाबई	होशंगाबाद	0.50	42
24	सिंहपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.36	42
25	बागरा	बाबई	होशंगाबाद	0.62	39
26	मानागांव	बाबई	होशंगाबाद	0.40	37
27	पहनतला	बाबई	होशंगाबाद	0.85	41
28	मेहदावाड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.50	43
29	खुटिया	बाबई	होशंगाबाद	0.84	44
30	झालौन	बाबई	होशंगाबाद	0.65	43
31	सिलारी खुर्द	बाबई	होशंगाबाद	0.63	30
32	सिरवाड़	बाबई	होशंगाबाद	0.85	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	गाजनपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.54	42
34	फुरतला	बाबई	होशंगाबाद	0.52	37
35	सेन्दरवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.40	34
36	चौराहित	बाबई	होशंगाबाद	0.45	39
37	संगाखेड़ा खुर्द	बाबई	होशंगाबाद	0.86	24
38	झालसर	बाबई	होशंगाबाद	0.65	27
39	सतवासा	बाबई	होशंगाबाद	0.50	29
40	उमरखेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.63	32
41	खिडिया	बाबई	होशंगाबाद	0.86	32
42	चिचली	बाबई	होशंगाबाद	0.20	30
43	रैपुरा	बाबई	होशंगाबाद	0.30	34
44	मोहना	बाबई	होशंगाबाद	0.50	34
45	बन्शी खेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.42	32
46	मालनवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.80	24
47	पाटनी	बाबई	होशंगाबाद	0.45	27
48	मरागांव	बाबई	होशंगाबाद	0.55	22
49	सरराकेशली	बाबई	होशंगाबाद	0.50	19
50	कोडरवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.30	18
51	बछवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.60	15
52	आमखेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.35	19
53	पाजारा खुर्द	बाबई	होशंगाबाद	0.60	18
54	पिपरपानी	बाबई	होशंगाबाद	0.45	20
55	गोदलवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.55	21
56	जमुनिया	बाबई	होशंगाबाद	0.40	24
57	सामौन	बाबई	होशंगाबाद	0.50	26
58	भानपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.65	25
59	डांगीवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.30	23
60	बागलखेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.40	23
61	नगवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.60	20
62	जनकपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.35	19
63	खरगवाली	बाबई	होशंगाबाद	0.44	18
64	गनेरा	बाबई	होशंगाबाद	0.20	17
65	बनखा	बाबई	होशंगाबाद	0.24	19
66	नसीराबाद	बाबई	होशंगाबाद	0.55	14
67	भटवारी	बाबई	होशंगाबाद	0.40	15
68	कुठारिया	बाबई	होशंगाबाद	0.63	29
69	शुक्करवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.70	32
70	सुवा खेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.52	35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71	पवार खेड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.36	37
72	जावली	बाबई	होशंगाबाद	0.45	35
73	आंचल खेड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.36	34
74	बज्जर वाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.38	32
75	बगलोन	बाबई	होशंगाबाद	0.44	27
76	आरी	बाबई	होशंगाबाद	0.42	24
77	विकोरी	बाबई	होशंगाबाद	0.38	28
78	भटवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.60	29
79	बीकोर	बाबई	होशंगाबाद	0.25	32
80	बनखेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.70	39
81	बुधनी	बाबई	होशंगाबाद	0.61	38
82	मुडिया खेड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.75	35
83	तामचर	बाबई	होशंगाबाद	0.40	30
84	पनवासा	बाबई	होशंगाबाद	0.83	28
85	मजोजलपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.75	28
86	ढोड़ई	बाबई	होशंगाबाद	0.55	41
87	मंगरोल	बाबई	होशंगाबाद	0.43	33
88	आहार खेड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.55	36
89	धनसी	बाबई	होशंगाबाद	0.78	36
90	चिलाचोन	बाबई	होशंगाबाद	0.40	37
91	गुड़ला	बाबई	होशंगाबाद	0.52	51
92	मनवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.60	33
93	गुरानिया मोती	बाबई	होशंगाबाद	0.36	34
94	झालसर	बाबई	होशंगाबाद	0.40	36
95	मढ़ावन	बाबई	होशंगाबाद	0.38	37
96	मुहासा	बाबई	होशंगाबाद	0.28	30
97	मकोडिया	बाबई	होशंगाबाद	0.43	34
98	संगाखेड़ा कला	बाबई	होशंगाबाद	0.38	32
99	बालाभेट	बाबई	होशंगाबाद	0.82	36
100	चपलासर	बाबई	होशंगाबाद	0.40	35
101	पीलीकरार	बाबई	होशंगाबाद	0.54	38
102	चांदला	बाबई	होशंगाबाद	0.80	36
103	कढीया	बाबई	होशंगाबाद	0.56	35
104	मगरिया	बाबई	होशंगाबाद	0.45	36
105	शक्करवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.48	46
106	गोरा	बाबई	होशंगाबाद	0.25	41

कुल योग : 55.10

महायोग : 913.50

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.- -10-11-308.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु ओलम एग्रो इन्डिया लि., बड़वानी शुगर मिल, घटवा, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बड़वानी/ठीकरी	ठीकरी	34	1066.50
2	बड़वानी/अंजड़	अंजड़	23	506.30
3	बड़वानी/बड़वानी	बड़वानी	20	333.37
4	बड़वानी/राजपुर	राजपुर	05	2.79
5	बड़वानी/सेधवा	सेधवा	05	3.57
6	बड़वानी/कसरावद	कसरावद	22	264.41
7	खरगोन/खरगोन	खरगोन	01	0.50
8	खरगोन/सेगांवा	सेगांवा	04	2.93
9	धार/धरमपुरी	धरमपुर	33	557.35
10	धार/मनावर	मनावर	47	513.56
11	धार/कुक्षी	कुक्षी	21	203.28
			योग : 215	3454.56

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे।

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

बड़वानी शुगर ओलम एक्सपोर्ट क्षेत्र आरक्षण ग्रामों की सूची 2010-11

तहसील—ठीकरी (जिला बड़वानी)

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कुआं	03	174.81
2	केरवा	02	10.69
3	कपाल्याखेड़ी	03	8.74
4	घटवा	01	25.75
5	अभाली	02	35.81
6	भगवानपुरा	02	28.70
7	जरवाह	02	65.64
8	उमरदा	02	28.53
9	हतोला	13	6.93
10	सेगवाल	02	95.95
11	ठीकरी	04	78.75

(1)	(2)	(3)	(4)
12	रणगांव	05	22.07
13	खुरमपुरा	05	0.40
14	मदरान्या	09	1.00
15	रेहड़कोट	11	0.23
16	कुंडिया	02	0.57
17	बांदरकच्छ	13	0.46
18	ब्राम्हणगांव	06	91.78
19	लखनगांव	09	16.86
20	अजंदी	05	3.90
21	मेहगांवडेब	11	14.49
22	रसवाडेब	10	0.24
23	मारुचिचली	13	65.79
24	चेनपुरा	11	34.77
25	गवला	11	27.40
26	देवला	06	11.94
27	ननगांव	05	21.54
28	दवाना	05	56.43
29	विश्वनाथखेड़ा	08	54.24
30	कालापानी	06	0.97
31	बलगांव	05	0.20
32	टिटगारिया	07	39.10
33	दाबड़	05	41.57
34	कुंदामाल	04	0.25

योग : 1066.50

तहसील—अन्जड़ (जिला बड़वानी)

1	गोलाटा	28	1.92
2	चकेरी	27	4.30
3	बावड़िया	17	16.56
4	फत्यापुर	19	7.83
5	किरमोही	19	2.95
6	अंजड़	29	75.86
7	मोहीपुरा	24	53.29
8	दतवाड़ा	28	78.21
9	छोटा बड़दा	31	82.18
10	आवली	33	49.81
11	पिपल्याडेब	17	9.73
12	लोहारा	16	23.81
13	केसरपुरा	22	16.15

(1)	(2)	(3)	(4)
14	नलवाय	13	3.09
15	तलवाड़ाडेब	14	51.86
16	पान्या	22	0.40
17	रणगांवडेब	29	2.92
18	उचावद	17	6.59
19	पिछोला	19	0.27
20	बिलवाडेब	18	0.23
21	छापरी	17	0.59
22	हरीबड़	13	0.33
23	मंडवाड़ा	22	17.42
			योग : 506.30

तहसील—बड़वानी (जिला बड़वानी)

1	बड़वानी	48	86.04
2	तलून	40	20.87
3	बोरलाय	35	2.08
4	धनोरा	36	7.30
5	पिपरी	35	6.27
6	पिपलाज	42	24.22
7	कुंडिया	42	46.23
8	छोटीकसरावद	43	9.99
9	पिपलुद	36	73.24
10	उटावद	38	10.08
11	सेगावां	45	8.38
12	करी	42	6.56
13	लोनसरा	37	0.26
14	कल्याणपुरा	52	0.25
15	खेडी	34	2.13
16	रेहगुन	40	0.44
17	बगूद	40	25.03
18	एकलरा	48	2.89
19	सोंदूल	49	0.48
20	जागरवा	50	0.63
			योग : 333.37

(1)	(2)	(3)	(4)
तहसील—राजपुर (जिला बड़वानी)			
1	ओझर	32	0.50
2	रणगांवरोड़	29	0.35
3	नागलवाड़ी	33	1.05
4	आगलगांव	24	0.40
5	सनगांव	17	0.49
			योग : 2.79

तहसील—सेंधवा (जिला बड़वानी)

1	पिसनावल	45	2.05
2	वरला	72	0.26
3	बलवाड़ी	69	0.63
4	दुगाणी	68	0.19
5	खारिया	65	0.44
			योग : 3.57

तहसील—कसरावद (जिला खरगोन)

1	निमरानी	10	4.45
2	हतोला	13	0.20
3	जरोली	05	12.16
4	चिचली	06	67.97
5	भोईन्दा	05	107.23
6	कठोरा	07	10.91
7	घाटबेड़िया	07	0.55
8	पथोरा	16	0.35
9	बलगांव	16	14.15
10	बलखड़	14	0.19
11	अहिर धामनोद	09	0.25
12	खलटाका	10	26.59
13	खलबुजुर्ग	10	9.23
14	मलतार	12	1.70

(1)	(2)	(3)	(4)
15	मालपुरा	05	3.96
16	जलखा	17	0.30
17	अकबरपुर	17	0.30
18	रेगवां	16	0.35
19	सत्राटी	06	2.31
20	पानवा	15	0.32
21	नगावां	08	0.44
22	मगरखेड़ी	08	0.50

योग : 264.41

तहसील—खरगोन (जिला खरगोन)

1	बगवां	16	0.50
---	-------	----	------

योग : 0.50

तहसील—सेगावां (जिला खरगोन)

1	गोलवाड़ी	31	0.76
2	भिकारखेड़ी	26	0.44
3	रसगांव	20	0.53
4	सेगावां	24	1.20

योग : 2.93

तहसील—धरमपुरी (जिला धार)

1	खलघाट	15	63.66
2	सुन्देल	15	94.02
3	बगड़ीपुरा	13	34.57
4	सुलगांव	10	10.02
5	हतनावर	09	58.77
6	बगाड़ी	12	3.75
7	खतड़गांव	09	35.92
8	पेड़वी	12	11.15
9	खुजावा	10	6.96
10	धामनोद	20	8.64

(1)	(2)	(3)	(4)
11	पिपल्दागढ़ी	11	42.33
12	निमोला	11	22.72
13	मोरगढ़ी	16	34.05
14	साला	13	25.15
15	लुन्हेरा	12	11.75
16	धरमपुरी	10	8.17
17	बेगंदा	20	20.61
18	भोगावां	10	0.57
19	पटलावद	17	19.54
20	बलवाड़ा	17	1.00
21	धेगदा	11	23.41
22	पगारा	14	0.47
23	पलासिया	21	0.17
24	रामपुर	12	0.32
25	फत्यापुर	11	11.47
26	देगावां	12	0.38
27	खारपुरा	12	5.14
28	डोगरी	13	0.25
29	डहीवर	24	0.27
30	एकलरा	10	1.17
31	छोटीनिमरानी	13	0.21
32	चंदावड़	14	0.20
33	बिखरोन	15	0.54

योग : 557.35

तहसील—मनावर (जिला धार)

1	देवगढ़	33	0.25
2	कवठी	35	11.24
3	साततलाई	39	0.39
4	शरिफपुरा	25	6.68
5	मलनगांव	21	21.18
6	बड़ा बड़दा	24	17.90
7	रतवा	20	0.55

(1)	(2)	(3)	(4)
8	उरदना	27	6.32
9	जोतपुर	26	37.85
10	पिपलाज	35	1.74
11	मिर्जापुर	21	37.52
12	देवलरा	13	29.85
13	कोठड़ा	13	43.60
14	टवलई	13	3.49
15	सेमल्दा	29	57.13
16	अछोदा	31	28.38
17	गोगावां	11	10.15
18	सिरसाला	30	6.37
19	डोंगरगांव	40	0.26
20	करोली	29	44.03
21	बड़गांवखेड़ी	29	0.29
22	मांडवी	41	6.16
23	पटवार	19	0.31
24	छोटी टवलई	13	13.89
25	बालीपुर	11	0.42
26	अजंदा	24	12.06
27	कुवाली	23	0.36
28	जलखेड़ा	22	13.41
29	एकलवारा	33	45.93
30	पेरखड़	33	6.68
31	वायल	27	1.36
32	ठनगांव	16	0.24
33	डेडगांव	14	3.06
34	बाकानेर	21	1.53
35	जेतापुर	20	0.27
36	कुंडियापुरा	18	0.33
37	राजपुरा	19	15.16
38	झिरवी	19	7.07
39	सिरसी	34	0.30
40	अंजदीमान	37	0.26

(1)	(2)	(3)	(4)
41	गांगली	49	0.80
42	पिपरीमान	25	0.70
43	गोपालपुरा	24	6.15
44	बीजाबेड़ी	29	1.24
45	भरड़पुर	48	0.65
46	पिपली	49	6.97
47	अमलाथा	16	3.08
			योग : 513.56

तहसील—कुक्षी (जिला धार)

1	चिखल्दा	50	44.27
2	गेहलगांव	54	5.75
3	मलवाड़ा	42	27.40
4	कड़माल	49	11.72
5	खापरखेड़ा	53	3.87
6	बाजरीखेड़ा	54	2.81
7	नर्मदानगर	48	57.60
8	निसरपुर	53	12.56
9	कोटेश्वर	49	0.21
10	कोणदा	59	0.19
11	दोगावां	60	0.20
12	कुआं (धरमराय)	68	0.32
13	भवरिया	59	4.62
14	पिपल्या	49	3.88
15	पूरा	47	0.28
16	दोंद	48	0.18
17	कोठड़ा	55	9.81
18	बोधवाड़ा	42	15.74
19	लिंगवा	45	0.50
20	बेडबालिया	47	0.45
21	सुसारी	58	0.92
			योग : 203.28

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.- -10-11-310.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी मिल, मेन्द्राना, पानसेमल, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	बड़वानी/पानसेमल	फैक्ट्री गेट	23	626.00
			योग : 23	626.00

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

**Shree Durga Khandsari Sugar Mills, Mendrana, Dist Barwani, Madhya Pradesh. 2010-11
Village Name & Sugarcane Area Under Pansemal Tahasil**

Sr. No.	Name of Farmer	Cane Purchase Center	Sugarcane Area	
			Sugarcane Acer (4)	Sugarcane Hector (5)
1	Jalgon	Factory Gate	73	29.2
2	Junapani	Factory Gate	147	58.8
3	Aamda	Factory Gate	88.5	35.4
4	Kansul	Factory Gate	57.5	23
5	Pansemal	Factory Gate	4.5	1.8
6	Mendrana	Factory Gate	85	34
7	Temla	Factory Gate	11	4.4
8	Jahoor	Factory Gate	53.5	21.4
9	Gongwada	Factory Gate	56	22.4
10	Bhamrata	Factory Gate	19	7.6
11	Khetia	Factory Gate	455	182
12	Badiya	Factory Gate	35	14
13	Temli	Factory Gate	26.5	10.6
14	Amzijari	Factory Gate	4	1.6
15	Bhaski	Factory Gate	98.5	39.4
16	Mortalai	Factory Gate	18	7.2
17	Bhargone	Factory Gate	131	52.4
18	Nisarpur	Factory Gate	88.5	35.4
19	Melan	Factory Gate	96.5	38.6
20	Rakhibujurg	Factory Gate	11	4.4
21	Chunabhatti	Factory Gate	2	0.8
22	Khadaki	Factory Gate	2	0.8
23	Piprani	Factory Gate	2	0.8
Total :			1565	626

Under Pansemal Tahasil Total Village 23 & Sugarcane Area 626 Hector.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.- -10-11-312.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा (राघोगढ़) जिला गुना, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	गुना	आवन	19	159.7
2	गुना	राघोगढ़	16	58.9
3	गुना	रुठियाई	19	201.6
4	गुना	मधुसूदनगढ़	28	49.0
5	गुना	बरखेड़ाहाट	13	22.2
6	गुना	रामपुर (आरोन)	16	44.7
7	गुना	बीनागंज	42	51.7
8	गुना	गुना	34	147.1
9	गुना	म्याना	8	20.6
10	गुना	झागर	18	10.7
11	अशोकनगर	शाढ़ौरा	16	64.9
12	अशोकनगर	अशोकनगर	20	111.0
13	अशोकनगर	सिन्कदरा	21	136.2
14	अशोकनगर	सारसखेड़ी	18	77.8
15	अशोकनगर	ईसागढ़	29	209.0
16	अशोकनगर	तारई	12	49.4
17	अशोकनगर	चन्देरी	11	44.1
18	अशोकनगर	बहादुरपुर	21	87.9
19	अशोकनगर	अचलगढ़	18	126.9
20	विदिशा	लटेरी	26	208.4
21	शिवपुरी	कोलारस	35	65.9
22	सीहोर	सीहोर	82	424.0
23	उज्जैन	महिदपुर	5	8.0
योग :			527	2379.7

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे।

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या.

नारायण पुरा (राघौगढ़) जिला गुना (म.प्र.)

क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2010-11

केन्द्र— आवन, जिला गुना

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टेयर में)	जड़ी (हेक्टेयर में)	कुल योग (हेक्टेयर में)	दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बर्या	2	-	1.6	1.6	8
2	बैराखेड़ी	30	13	12.9	25.9	4
3	बरखेड़ी महा.	10	3.4	1.4	4.8	5
4	पीपल्या	1	1	0	1	10
5	पारकना	46	19.7	9.8	29.5	8
6	पार्वतीचौकी	1	1.2	0	1.2	6
7	प्रेमगढ़	36	5.3	15.8	21.1	7
8	साकोनिया	2	0.2	0.4	0.6	3
9	सारसहेला	3	1.3	0	1.3	6
10	सुन्दरखेड़ी	13	5.8	1.5	7.3	5
11	दीतलवाड़ा	22	14.6	4.4	19	11
12	जयरामपुरा	1	-	1	1	7
13	गावरी	5	3.4	0.6	4	7
14	गोविन्दपुरा	12	0.4	9.4	9.8	5
15	नारायणपुरा	9	3.6	6.4	10	1
16	आवन	10	4.1	3.7	7.8	7
17	मोहम्मदपुर	4	5.6	0	5.6	7
18	रामपुरा	4	1.4	4.6	6	8
19	सराय	5	2.2	0	2.2	5
योग . .		216	86.200	73.500	159.700	

केन्द्र—राघौगढ़, जिला गुना

1	राघौगढ़	11	7.700	4.100	11.800	12
2	फैकरा	2	-	0.400	0.400	22
3	बरैयाखेड़ा	4	1.600	0.600	2.200	20
4	कडैया	1	-	0.500	0.500	18
5	कुदैया	1	2.200	0.000	2.200	25
6	मोतीपुरा	18	12.800	2.000	14.800	18
7	मेरखेड़ी	9	4.500	3.700	8.200	10
8	रामनगर	2	0.200	1.000	1.200	10
9	राजपुरा	2	0.800	0.600	1.400	10
10	सुआखेड़ी	9	7.300	0.400	7.700	22
11	नांदेर	1	1.000	0.000	1.000	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	अहमदापुर	1	0.700	0.000	0.700	25
13	भरसूला	1	1.000	0.000	1.000	11
14	पीलाघाटा	3	0.400	4.000	4.400	20
15	गाड़रवाड़ा	1	-	0.400	0.400	15
16	खजूरी	2	0.500	0.500	1.000	20
योग . .		68	40.700	18.200	58.900	

केन्द्र — रूठियाई, जिला गुना

1	रूठियाई	7	11.000	3.400	14.400	22
2	पगारा	1	1.000	0.000	1.000	20
3	सकतपुर	3	1.000	0.800	1.800	30
4	उदयपुरी	23	19.600	2.800	22.400	35
5	दावतपुरी	1	2.000	0.000	2.000	30
6	भुताय	107	77.500	36.100	113.600	38
7	धरनावदा	1	-	0.400	0.400	35
8	सनोतिया	1	-	0.800	0.800	35
9	शेखपुर	1	2.000	0.000	2.000	35
10	विजयपुर	5	2.400	1.500	3.900	21
11	बालाभेंट	9	7.000	2.000	9.000	35
12	रानीपुरा	2	2.000	1.000	3.000	25
13	बमूरिया	8	5.000	5.800	10.800	40
14	लाड़पुरा	1	-	0.300	0.300	22
15	भैंरोपुरा	7	1.200	2.100	3.300	40
16	डोंगर	2	-	0.800	0.800	20
17	सरवरपुर	1	-	0.200	0.200	40
18	कोटरा	4	5.400	0.000	5.400	35
19	पाडरखेडी	3	6.000	0.500	6.500	17
योग . .		187	143.100	58.500	201.600	-

केन्द्र — मधुसूदनगढ़, जिला गुना

1	शंकरपुरा	2	0.600	0.600	1.200	40
2	केदारपुरा	1	1.200	0.000	1.200	45
3	धीनाखेड़ी	1	0.400	0.000	0.400	34
4	टोडरा	3	2.000	0.600	2.600	22
5	चौड़ाखेड़ी	1	0.600	0.000	0.600	17
6	किशनगढ़	1	1.200	0.000	1.200	22
7	मोहरी	2	-	0.400	0.400	38
8	एमनाखेड़ी	1	1.200	0.000	1.200	50
9	कांठी	1	0.200	0.000	0.200	20
10	भेरूखेड़ी	1	-	0.600	0.600	35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	मधुसूदनगढ़	2	1.000	0.000	1.000	40
12	किशनखेड़ी	3	1.800	0.000	1.800	35
13	पीपलखेड़ी	9	2.400	2.200	4.600	16
14	परेवा	7	3.000	1.000	4.000	23
15	सालोटा	26	12.800	4.100	16.900	18
16	गणेशपुरा	3	0.700	1.400	2.100	22
17	जामनेर	2	-	0.600	0.600	20
18	कुंडाई मारू	1	0.400	0.000	0.400	35
19	नालाझिरी	4	0.800	0.000	0.800	25
20	शंकर पुरा (उकावद)	1	0.400	0.000	0.400	62
21	गादेर	1	0.700	0.000	0.700	32
22	आलमपुरा	1	1.000	0.000	1.000	60
23	दौलतपुरा	1	1.000	0.000	1.000	23
24	बरसत	1	0.300	0.000	0.300	19
25	नावनखेड़ी	1	1.600	0.000	1.600	54
26	बीलखेड़ा	2	1.000	0.000	1.000	50
27	धपरियाई	1	0.600	0.000	0.600	50
28	तोरई	1	0.600	0.000	0.600	45

योग . .	81	37.500	11.500	49.000
---------	----	--------	--------	--------

केन्द्र — बरखेडाहाट, जिला गुना

1	भादौर	5	0.200	1.200	1.400	64
2	बमूरिया	1	-	0.600	0.600	54
3	बरखेडाहाट	5	0.100	0.700	0.800	55
4	बारोद	1	0.100	0.000	0.100	55
5	पड़रियाई	1	-	0.700	0.700	34
6	सहरोक	1	-	0.600	0.600	33
7	सेमराखुर्द	9	2.100	1.700	3.800	65
8	आरोन	13	6.100	3.200	9.300	42
9	नठाई	2	0.700	0.000	0.700	83
10	भूतमढी	3	0.100	0.300	0.400	71
11	देहरीखुर्द	2	0.300	0.200	0.500	83
12	कुशगान	1	1.700	0.000	1.700	52
13	सिरसी	2	1.600	0.000	1.600	52

योग . .	46	13.000	9.200	22.200
---------	----	--------	-------	--------

केन्द्र — रामपुर, जिला गुना

1	रहीमपुर	8	2.400	0.800	3.200	60
2	शालय	3	0.800	1.200	2.000	56
3	इंकोदिया	1	-	0.200	0.200	57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	बन्दीपुर	3	1.100	0.100	1.200	65
5	बकान	3	0.800	0.800	1.600	54
6	करईखेड़ा	3	1.300	0.000	1.300	61
7	कोलुआ	2	0.800	0.600	1.400	115
8	मातामूडरा	2	0.600	0.000	0.600	62
9	मोहनखेड़ी	3	0.800	0.400	1.200	70
10	हिनोतिया	2	-	0.600	0.600	66
11	हुसैनपुर	20	9.900	6.700	16.600	81
12	परासरी	5	1.800	1.700	3.500	57
13	रायपुर	4	-	0.600	0.600	61
14	रामपुर	2	0.400	0.400	0.800	58
15	हापाखेड़ी	7	1.700	3.000	4.700	74
16	शाह-पिपरिया	3	4.200	1.000	5.200	90
योग . .		71	26.600	18.100	44.700	

केन्द्र — बीनागंज, जिला गुना

1	खटकिया	3	1.000	0.400	1.400	3
2	बीनागांव	1	0.400	0.000	0.400	26
3	बनेट	3	4.000	0.600	4.600	25
4	कोन्याकला	2	0.800	0.000	0.800	35
5	कानाखेड़ी	1	0.600	0.000	0.600	18
6	पीपल्यानजकोटरा	4	0.400	0.400	0.800	38
7	रमड़ी	5	1.000	0.300	1.300	19
8	रायपुरा	2	-	0.700	0.700	14
9	रामटेरी	3	2.600	0.000	2.600	32
10	सींगनपुर	2	-	0.500	0.600	22
11	सागर	4	6.000	0.000	6.000	27
12	देहरी	2	0.600	0.000	0.600	40
13	तुलसीखेड़ी	2	0.500	0.500	1.000	22
14	नारायणपुरा	4	1.600	0.000	1.600	34
15	अरन्या	1	0.600	0.000	0.600	27
16	लहरचा	1	0.500	0.000	0.500	25
17	लाछौनी	1	1.000	0.000	1.000	32
18	ऊपरी	3	4.600	0.000	4.600	14
19	मृगवास	6	0.800	1.000	1.800	38
20	पीपलखेड़ी	4	-	0.800	0.800	33
21	भैंसुआ	1	0.400	0.000	0.400	35
22	हिंगोनी	2	0.600	0.200	0.800	42
23	केशोपुरा	1	0.400	0.000	0.400	30
24	मानकचौक	1	1.000	0.000	1.000	16
25	चकऊपरी	8	7.100	0.000	7.100	16
26	सांकाखुर्द	3	-	0.600	0.600	19
27	किशोरा	1	-	0.400	0.400	38
28	गाड़यापुरा	1	-	0.400	0.400	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	किरवाड़ा	1	-	0.200	0.200	36
30	आंवलहेड़ा	1	-	0.200	0.200	35
31	भूमलाखेड़ी	3	-	0.600	0.600	36
32	झींकनी	1	0.500	0.000	0.500	48
33	टटूजखेड़ी	1	0.600	0.000	0.600	38
34	मानपुरिया	1	0.600	0.000	0.600	14
35	अमृतखेड़ी	1	-	0.400	0.400	24
36	कुरवाई	1	0.800	0.000	0.800	24
37	ऊपरी (गंगापुरा)	1	-	0.500	0.500	15
38	बटावदा	1	0.200	0.000	0.200	41
39	तेलीगांव	5	1.000	0.400	1.400	40
40	नैनवास	2	-	1.500	1.500	42
41	गुलवाडा	1	0.800	0.000	0.800	29
योग . .		92	41.000	10.700	51.700	

केन्द्र — गुना, जिला गुना

1	ढोलबाज	1	-	0.100	0.100	52
2	बरखेड़ागिर्द	13	2.400	3.200	5.600	58
3	बरोदियाखुर्द	32	4.300	8.100	12.400	53
4	कमलापुर सरखण्डी	19	20.400	13.600	34.000	60
5	करौद	2	-	0.400	0.400	63
6	कोलुआमार (चक्क)	2	0.200	0.700	0.900	66
7	माघौपुरा	1	0.600	0.000	0.600	51
8	मुहालपुर	9	1.000	1.500	2.500	47
9	भिडरा	4	0.700	0.300	1.000	65
10	छीपोन चक्क	5	2.000	1.300	3.300	58
11	पिपरोदा कलां	1	5.000	0.000	5.000	53
12	सिरसीखुर्द	3	-	0.800	0.800	62
13	वियाकखेड़ी	3	1.200	0.500	1.700	47
14	तिल्लीखेड़ा	36	2.200	8.100	10.300	64
15	हनुमंतपुरा	2	0.200	0.200	0.400	58
16	परसौदा	30	3.800	5.900	9.700	63
17	रसूलपुर	6	2.000	0.400	2.400	62
18	सरखो	3	1.300	0.400	1.700	62
19	देवरीमार	1	0.200	0.000	0.200	65
20	नौहर	5	2.600	0.300	2.900	60
21	नेगमा	6	0.700	0.600	1.300	51
22	गोपालपुरा	1	1.200	0.000	1.200	58
23	गेहूंखेड़ा	6	0.400	1.200	1.600	56
24	लोहपाल	3	-	1.000	1.000	62
25	सिंगवासा	2	5.400	0.000	5.400	45
26	पाटई	3	5.400	1.000	6.400	55
27	मावन	1	2.200	0.000	2.200	52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	कुशमोदा	1	-	1.600	1.600	41
29	पीतमपुर	7	10.300	8.200	18.500	56
30	माहौर	6	2.500	0.700	3.200	64
31	नयागांव	1	0.600	0.000	0.600	52
32	हिलगना	1	-	6.000	6.000	41
33	मोहनपुर	3	0.400	1.400	1.800	67
34	इकोदिया	1	-	0.400	0.400	68
योग . .		220	79.200	67.900	147.100	

केन्द्र — म्याना, जिला गुना

1	डुंगासरा	3	1.700	0.000	1.700	96
2	खुटयावद	2	0.500	0.400	0.900	63
3	बल्लापुर	3	0.200	0.600	0.800	60
4	सगोरिया	7	1.500	1.300	2.800	71
5	घुरवारकला	2	-	0.800	0.800	88
6	पिपरोदा केशराज	3	5.500	3.100	8.600	67
7	अजलेश्वर	4	0.400	3.200	3.600	104
8	धमनार	1	1.400	0.000	1.400	65
योग . .		25	11.200	9.400	20.600	

केन्द्र — झागर, जिला गुना

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हे. में)	जड़ी (हे. में)	कुल योग (हे. में)	दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शेखपुर	1	-	0.200	0.200	63
2	बेरखेड़ी	1	-	0.300	0.300	59
3	रियाना	1	-	0.200	0.200	77
4	निभैरा	1	-	0.300	0.300	90
5	धाननखेड़ी	1	0.400	0.000	0.400	67
6	सामरसींगा	1	0.200	0.000	0.200	65
7	अकोदा	2	0.400	0.100	0.500	110
8	बनेह	3	-	1.100	1.100	71
9	कालोनी	3	1.000	0.600	1.600	82
10	भौरा	2	-	0.200	0.200	77
11	अतरसूमा	1	-	0.400	0.400	74
12	खुटियारी	1	-	0.300	0.300	94
13	मानपुर	2	0.400	0.800	1.200	118
14	पौरूखेड़ी	1	0.500	0.000	0.500	74
15	मुरादपुर	3	1.300	0.000	1.300	65
16	परवाह	1	0.300	0.000	0.300	76
17	मछरया	3	1.400	0.000	1.400	55
18	डुमेला	1	0.300	0.000	0.300	60
योग . .		29	6.200	4.500	10.700	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केन्द्र — शादौरा, जिला अशोकनगर						
1	झीला	3	1.000	2.200	3.200	79
2	बल्दाई	1	1.000	0.000	1.000	73
3	बगुल्या	10	4.200	2.400	6.600	80
4	पीलीघटा	7	4.400	2.000	6.400	66
5	सेमरी लोहाबाद	1	-	0.600	0.600	74
6	सेजी	4	1.800	0.300	2.100	67
7	चक्क चिरौली	2	1.600	0.600	2.200	82
8	जलालपुर	3	2.800	1.000	3.800	86
9	भौंसलेगांव	15	8.000	8.000	16.000	69
10	गरेठा	5	1.000	5.000	6.000	107
11	चारौदा	5	3.200	3.800	7.000	70
12	काछी बमौरा	1	-	0.400	0.400	80
13	चिरोला	1	-	0.800	0.800	81
14	चक चारौदा	4	0.800	2.800	3.600	70
15	ऊमरी	1	-	1.400	1.400	97
16	सिलावन	5	3.800	0.000	3.800	74
योग . .		68	33.600	31.300	64.900	

केन्द्र — अशोकनगर, जिला अशोकनगर						
1	कुन्दौली	4	1.600	1.200	2.800	102
2	खड़ीचरा	12	6.600	11.200	17.800	101
3	बमौरी भीमा	9	4.800	4.400	9.200	98
4	बरखेड़ालाल	5	-	6.400	6.400	102
5	कजराई	10	10.600	8.000	18.600	103
6	खिरियागुम	3	6.000	0.000	6.000	106
7	हिनोतिया पछार	2	1.000	1.000	2.000	92
8	पिपनावदा	3	0.600	0.800	1.400	96
9	पंवारगढ़	5	0.600	2.400	3.000	92
10	रांवसर	1	1.000	0.000	1.000	95
11	सागर (बरियाचक)	11	-	17.000	17.000	103
12	सलमाई	4	0.800	3.800	4.600	101
13	उरझुरू	1	-	0.400	0.400	90
14	उमरियामाफी	1	2.000	0.000	2.000	101
15	देहरदा	2	-	1.800	1.800	96
16	नानकपुर	4	3.600	2.600	6.200	106
17	अशोकनगर	1	-	1.000	1.000	87
18	लखेरी बसारती	6	2.600	5.600	8.200	101
19	जसवंतनगर	1	1.000	0.000	1.000	103
20	कोलुआ	1	-	0.600	0.600	92
योग . .		86	42.800	68.200	111.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केन्द्र —सिकन्दरा, जिला अशोकनगर						
1	शहबाजपुर	14	5.900	5.000	10.900	101
2	घरोई	3	-	3.200	3.200	93
3	घतूरिया	1	2.600	0.000	2.600	96
4	इंगलेखेड़ी	2	-	2.000	2.000	91
5	बरखेड़ा छज्जू	9	2.400	4.600	7.000	103
6	मढीतूमैन	3	0.300	1.000	1.300	94
7	मोहरीराय	9	2.400	4.500	6.900	89
8	सिकन्दरा	31	9.800	11.900	21.700	92
9	सुमेर	4	1.000	1.500	2.500	101
10	तूमैन	23	9.000	8.900	17.900	96
11	जुगया	6	1.200	2.600	3.800	101
12	जलालपुर	16	2.800	10.400	13.200	93
13	नगेश्री	18	3.200	10.400	13.600	92
14	अमाही	7	0.800	3.000	3.800	94
15	आमखेड़ा (तूमैन)	3	1.400	1.300	2.700	101
16	अनन्तपुर	6	2.200	1.100	3.300	102
17	गोपालपुर	3	0.800	1.200	2.000	101
18	बरखेड़ी	1	3.000	0.000	3.000	81
19	महुआखेड़ा	2	0.800	0.600	1.400	106
20	भेटुआ	2	0.400	0.600	1.000	104
21	खजूरियकलां	13	6.700	5.700	12.400	103
योग :		176	56.700	79.500	136.200	

केन्द्र सारसखेड़ी, जिला अशोकनगर

1	धुरा	1	-	1.000	1.000	104
2	रूहाना	9	5.200	1.900	7.100	105
3	छैलाई	3	1.200	1.000	2.200	103
4	खमखेड़ी	1	2.000	0.000	2.000	108
5	महाना	2	1.400	2.000	3.400	102
6	पाटई	2	1.000	1.000	2.000	102
7	पाकरोड	3	2.200	0.000	2.200	105
8	राजतला	4	5.000	2.000	7.000	102
9	सेमरखेड़ी	9	14.800	3.000	17.800	106
10	चन्दन बेहटा	5	5.000	2.000	7.000	102
11	गोविन्दपुर	2	2.400	0.000	2.400	107
12	पिपरिया	2	3.000	0.000	3.000	122
13	पिपरेसरा	2	0.600	0.400	1.000	115

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	मूडरा (ढाकौनी)	5	4.000	3.600	7.600	125
15	कनेरा	5	4.000	3.700	7.700	106
16	परासरी	2	0.000	0.800	0.800	108
17	अम्हाई	2	1.000	0.600	1.600	103
18	जनौदा	1	2.000	0.000	2.000	106
योग :		60	54.800	23.000	77.800	

केन्द्र ईसागढ़, जिला अशोकनगर

1	श्यामाटोरी	5	4.000	2.600	6.600	119
2	शंकरपुर	17	4.600	11.300	15.900	120
3	शाहपुर	7	3.600	1.400	5.000	120
4	ध्यानपुर	3	0.800	1.000	1.800	122
5	ढाकौनी	16	12.700	8.600	21.300	116
6	भौरा	8	3.400	3.000	6.400	138
7	ईसागढ़	6	1.500	1.100	2.600	120
8	इमझेरा	5	2.000	1.600	3.600	126
9	कबीरी	8	3.600	5.400	9.000	113
10	करोदी	26	12.200	11.800	24.000	120
11	कालीटोर	9	5.600	1.800	7.400	119
12	कुम्हरिया	2	1.200	0.800	2.000	114
13	महुअन	4	7.000	2.200	9.200	129
14	मियांखेड़ी	11	11.300	7.300	18.600	133
15	पाटखेड़ा	4	2.200	1.400	3.600	110
16	पलकाटोरी	1	0.400	0.000	0.400	141
17	जमडेरा	9	11.800	13.600	25.400	130
18	नरसूखेड़ी	1	0.800	0.000	0.800	115
19	गहोरा	2	0.800	0.400	1.200	122
20	लहदपुर	1	-	1.600	0.600	121
21	जंघार	1	1.200	0.000	1.200	130
22	राजाडेहर	6	5.000	8.000	13.000	126
23	डेगा (मोचार)	1	1.000	0.000	1.000	126
24	कोहरवास	2	0.400	0.200	0.600	128
25	सरजापुर	7	4.600	5.900	10.500	127
26	सीतलपुर (ढाकौनी)	7	8.200	0.800	9.000	121
27	बानौरा चक्क	2	0.600	0.000	0.600	126
28	दयालपुर	3	1.400	5.500	6.900	124
29	कुलवार	1	-	0.800	0.800	118
योग :		175	111.900	97.100	209.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केन्द्र तारई, जिला अशोकनगर						
1	भटोली	1	0.400	0.000	0.400	116
2	भरियाखेडी	2	1.400	1.000	2.400	102
3	डोंगर	8	2.400	4.000	6.400	110
4	खैराई	9	5.200	6.200	11.400	102
5	बमनाई	1	0.800	0.000	0.800	112
6	कुकरेठा	7	8.200	2.400	10.600	111
7	मोहरी	2	1.000	2.000	3.000	113
8	मर्दनखेड़ी	1	0.800	0.000	0.800	111
9	जियाजीपुर	5	6.800	2.400	9.200	111
10	तारई	3	2.000	0.000	2.000	103
11	मूड़राकला	2	0.800	0.000	0.800	110
12	सींगोन	3	1.600	0.000	1.600	110
योग :		44	31.400	18.000	49.400	

केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टेयर में)	जड़ी (हेक्टेयर में)	कुल योग (हेक्टेयर में)	दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खलीलपुर	2	0.800	0.600	1.400	135
2	बड़ेराचक	2	0.800	0.000	0.800	155
3	मीठाखेड़ा	4	2.000	1.800	3.800	161
4	मोहनपुर	1	0.800	0.000	0.800	157
5	हंसारी	1	0.600	0.000	0.600	153
6	तगारी	1	0.200	0.000	0.200	132
7	नयाखेड़ा	1	0.400	0.000	0.400	128
8	नावनी	14	9.800	10.000	19.800	155
9	गरेठी	7	8.800	3.900	12.700	123
10	कुंवरपुरा	1	-	0.600	0.600	152
11	कुरवासा	1	3.000	0.000	3.000	137
योग :		35	27.200	16.900	44.100	

केन्द्र बहादुरपुर, जिला अशोकनगर

1	बरी	7	3.200	4.800	8.000	135
2	कुम्हरा	1	-	2.000	2.000	138
3	मूड़राबहादुरा	1	-	1.200	1.200	110
4	मलावनी	1	-	3.000	3.000	110
5	हाजूखेड़ी	2	-	8.400	8.400	130
6	सावलहेडा	15	-	0.400	0.400	133

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	खुजराई	1	-	0.600	0.600	125
8	रमपुरा	1	11.200	0.000	11.200	155
9	रतभानपुर	1	0.600	0.000	0.600	128
10	ओण्डेर	1	0.600	0.000	0.600	101
11	सिलावन	1	0.400	0.000	0.400	122
12	भेडका	11	8.200	10.600	18.800	151
13	गीलारोपा	6	6.800	4.400	11.200	125
14	मूडराखाना	2	4.400	0.000	4.400	105
15	बगवा	2	-	5.000	5.000	138
16	गुपलिया	1	-	0.600	0.600	121
17	नेकहाई	1	2.400	0.000	2.400	123
18	मल्हारगढ़	3	-	8.200	8.200	161
19	टीला	1	0.300	0.000	0.300	148
20	मुंगावली	1	0.200	0.000	0.200	145
21	सिरसौरा	1	0.400	0.000	0.400	132
योग :		61	38.700	49.200	87.900	

केन्द्र अचलगढ़, जिला अशोकनगर

1	कारातला	4	2.000	1.400	3.400	138
2	कालपीचक	4	3.800	1.800	5.600	130
3	ढिमचौली	5	2.400	3.300	5.700	139
4	पिपरई	2	-	2.600	2.600	112
5	सिंगारदा	6	4.200	5.400	9.600	130
6	सिलवारा खुर्द	2	2.000	0.400	2.400	133
7	चिरौली	1	2.000	0.000	2.000	145
8	हंसनगर	8	5.000	2.500	7.500	132
9	पठारी	3	3.100	0.000	3.100	142
10	पारकना	2	4.000	0.800	4.800	142
11	सेहराई	1	3.000	0.000	3.000	134
12	अचलगढ़	28	27.500	9.400	36.900	128
13	खोरीबरी	2	1.400	0.600	2.000	123
14	जनकपुरखिरिया	1	0.400	0.000	0.400	136
15	किरौला	2	2.000	3.800	5.800	142
16	मूडरी	5	14.400	0.000	14.400	124
17	केनवारा	11	8.600	7.100	15.700	128
18	देवपुर	2	0.800	1.200	2.000	135
योग :		89	86.600	40.300	126.900	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केन्द्र लटेरी, जिला विदिशा						
1	धड़गा	31	19.600	22.400	42.000	71
2	घुटुआ	1	0.800	0.000	0.800	75
3	इस्लामनगर	2	2.500	2.500	5.000	58
4	बरखेड़ाघोसी	13	11.200	6.800	18.000	75
5	बरखेड़ा देव	3	2.400	1.000	3.400	76
6	बलरामपुर	8	6.800	4.600	11.400	87
7	मण्डी बामौरा	2	3.000	2.000	5.000	73
8	महावन	2	2.000	0.000	2.000	55
9	महोटी	2	1.800	0.000	1.800	75
10	मोहब्बतपुर	16	6.000	7.400	13.400	65
11	मोहनपुर	2	0.600	0.600	1.200	73
12	मुरारिया	3	1.600	0.600	2.200	115
13	मुरवास	1	0.600	0.000	0.600	85
14	मूडरासागर	3	1.000	1.200	2.200	127
15	छिरारी	2	1.000	1.000	2.000	90
16	रतनगढ़	6	5.600	5.400	11.000	114
17	शहरखेड़ा	14	6.200	4.800	11.000	80
18	सोजना	2	2.500	2.500	5.000	67
19	सुगनाखेड़ी	3	4.700	2.500	7.200	90
20	सगड़ा	9	11.400	5.600	17.000	74
21	चंदपुरा	3	5.800	6.000	11.800	78
22	जटपुरा	3	1.400	2.400	3.800	125
23	नेवली	4	-	1.600	1.600	63
24	आमखेड़ा	10	12.000	7.000	19.000	101
25	गोपीतलाई	10	5.000	4.000	9.000	81
26	लटेरी	3	0.800	0.200	1.000	84
योग :		158	116.300	92.100	208.400	

केन्द्र कोलारस, जिला शिवपुरी

1	भड़ौता	1	-	0.600	0.600	115
2	डोंगरपुर	5	8.300	-	8.300	74
3	सडबुड	2	1.400	-	1.400	128
4	रन्नौद	2	0.800	0.400	1.200	126
5	रामगढ़	1	-	0.100	0.100	126
6	ढेकुआ	1	0.400	-	0.400	95
7	निबौदा	2	0.700	-	0.700	115
8	हरिपुर	14	16.300	2.400	18.700	142
9	खरे	1	0.200	-	0.200	138
10	पायगा	4	-	0.500	0.500	147
11	एनवारा	1	-	0.200	0.200	155
12	चिलावद	1	1.200	-	1.200	136

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	पारागढ	2	0.700	4.600	5.300	150
14	पडोरा	1	0.700	-	0.700	115
15	केलदार	5	1.900	2.000	3.900	117
16	झाड़ेल	3	2.100	0.400	2.500	95
17	लगदा	1	-	0.500	0.500	168
18	अमरपुर	1	2.300	-	2.300	129
19	नितौजी	1	5.000	-	5.000	113
20	बांस खेडी	2	0.900	-	0.900	144
21	गुना टोरी	1	0.600	-	0.600	115
22	बेडारी	1	1.000	-	1.000	124
23	मझेरा	1	3.200	-	3.200	125
24	पिपरौदा	2	1.400	-	1.400	187
25	बम्हथाना	1	0.600	-	0.600	156
26	बामौर कला	1	1.000	-	1.000	180
27	नाराणपुरा	1	0.200	-	0.200	185
28	बरखेड़ा	1	0.100	-	0.100	165
29	बरखेड़ा खुर्द	1	0.200	-	0.200	187
30	डोडियाई	1	0.600	-	0.600	165
31	काढ़ी	3	0.300	-	0.300	170
32	सजाई	1	0.400	-	0.400	180
33	गड़रैजा	7	0.700	-	0.700	185
34	खरई	2	0.600	-	0.600	190
35	मुडैरी	1	0.400	-	0.400	163
योग :		76	54.200	11.700	65.900	

केन्द्र सीहोर, जिला सीहोर

1	अलहदाखेड़ी	-	-	1.000	1.000	250
2	हसनावाद	-	5.000	2.000	7.000	250
3	मोगराराम	-	4.000	1.000	5.000	250
4	सास्ताखेड़ी	-	2.000	3.000	5.000	250
5	बारवाखेड़ी	-	1.000	2.000	3.000	250
6	उपादियाभील	-	1.000	1.000	2.000	250
7	तोरनिया	-	1.000	1.000	2.000	250
8	नरेला	-	5.000	1.000	6.000	250
9	डोबरा	-	1.000	1.000	2.000	250
10	बरवेली	-	0.500	0.500	1.000	250
11	अतरालिया	-	0.500	0.500	1.000	250
12	सेमरादांगी	-	0.500	0.400	0.900	250
13	दुपरियादांगी	-	0.500	0.500	1.000	250
14	छापरी	-	0.500	1.000	1.500	250
15	सदोरनिया	-	1.000	0.500	1.500	250
16	रलावती	-	1.000	1.500	2.500	250
17	हीरापुर	-	0.500	1.500	2.000	250
18	भैंसाखेड़ी	-	0.500	2.000	2.500	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	पीपलनेर	-	1.500	1.500	3.000	250
20	रामाखेड़ी	-	1.000	0.500	1.500	250
21	भोजनगर	-	2.500	1.000	3.500	250
22	जमोजिया	-	1.000	0.500	1.500	250
23	रायपुरा	-	1.000	0.500	1.500	250
24	मुंगावली	-	4.000	1.000	5.000	250
25	पिपलिया	-	2.500	1.000	3.500	250
26	इच्छावर	-	4.000	2.000	6.000	250
27	कोनाझिर	-	1.000	0.500	1.500	250
28	भावखेड़ी	-	2.000	1.000	3.000	250
29	आमाझिर	-	5.000	1.000	6.000	250
30	जामोनिया गोप	-	3.000	1.000	4.000	250
31	आष्टा	-	1.000	0.500	1.500	250
32	कोटरी	-	5.000	2.000	7.000	250
33	किलेरामा	-	2.000	1.000	3.000	250
34	बिजलोन	-	1.000	0.500	1.500	250
35	उलझावन	-	8.000	4.000	12.000	250
36	जावर	-	1.000	5.000	6.000	250
37	सिद्धिकीगंज	-	6.000	2.000	8.000	250
38	मेहतबाड़ा	-	2.000	3.000	5.000	250
39	जामुनियाजोहर	-	2.000	4.000	6.000	250
40	मुहाली	-	2.000	2.000	4.000	250
41	पिपलियाधाकड़	-	1.000	1.000	2.000	250
42	पिपरियामीरा	-	1.000	5.000	6.000	250
43	खजूरियाखुर्द	-	2.000	3.000	5.000	250
44	कचनारिया	-	1.000	6.000	7.000	250
45	वहीदगंज	-	1.000	1.000	2.000	250
46	कजलाज	-	1.000	1.000	2.000	250
47	कोडिया	-	1.000	5.000	6.000	250
48	तूमड़ा	-	2.000	7.000	9.000	250
49	बड़वेली	-	0.500	8.000	8.500	250
50	मानपुरा	-	0.500	5.000	5.500	250
51	दीपड़ा	-	0.500	2.000	2.500	250
52	बड़ोदिया	-	0.500	0.200	0.700	250
53	भगवानपुरा	-	0.500	0.200	0.700	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54	खजूरियाबंगला	-	2.000	0.200	2.200	250
55	बड़ियाखेड़ी	-	0.500	0.500	1.000	250
56	कुलासकलां	-	6.000	0.400	6.400	250
57	कुलासखुर्द	-	4.000	0.400	4.400	250
58	चन्देरी	-	4.000	0.500	4.500	250
59	लसूडियाकांगर	-	1.000	0.500	1.500	250
60	बूड़ी	-	7.000	0.400	7.400	250
61	गुड़बेला	-	1.000	0.500	1.500	250
62	अमलाहा	-	4.000	0.500	4.500	250
63	नादान	-	6.000	0.500	6.500	250
64	रनायल	-	5.000	0.500	5.500	250
65	खण्डवा	-	10.000	1.000	11.000	250
66	मैना	-	16.000	2.000	18.000	250
67	बागेर	-	15.000	2.000	17.000	250
68	मांडली	-	12.000	1.000	13.000	250
69	निपानिया	-	10.000	1.000	11.000	250
70	थूनाखुर्द	-	15.000	1.000	16.000	250
71	देहरिया	-	2.000	1.000	3.000	250
72	मूड़ला	-	10.000	2.000	12.000	250
73	टीलाखेड़ी	-	10.000	2.000	12.000	250
74	सिकन्दरगंज	-	5.000	0.500	5.500	250
75	नापली	-	10.000	0.500	10.500	250
76	चैनपुरा	-	6.000	0.500	6.500	250
77	जहंगीरपुरा	-	10.000	0.500	10.500	250
78	दबोटी	-	15.000	0.500	15.500	250
79	फन्दा	-	2.000	0.500	2.500	250
80	जमुनी	-	2.000	0.500	2.500	250
81	रतनपुर	-	8.000	0.500	8.500	250
82	पाटनिया	-	5.000	0.800	5.800	250

योग :	0.000	300.000	124.000	424.000
-------	-------	---------	---------	---------

केन्द्र महीदपुर, जिला उज्जैन

1	महीदपुर एवं तराना क्षेत्र के ग्राम	-	5.000	3.000	8.000	-
---	---------------------------------------	---	-------	-------	-------	---

योग :	-	5.000	3.000	8.000
महायोग :	2063.000	1443.900	935.800	2379.700

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-10-11-314.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर	25	621.5
2	बुरहानपुर	शाहपुर	16	86.1
3	बुरहानपुर	दर्यापुर	37	915.2
4	बुरहानपुर	खकनार	28	784.7
5	बुरहानपुर	तुकईघड़	26	393.11
6	बुरहानपुर	हैदरपुर	33	1549.00
7	खण्डवा	पंधाना	24	197.3
8	खण्डवा	पुनासा	06	31.5
9	खण्डवा	खण्डवा	27	102.7
10	खण्डवा	हरसूद	03	19.3
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
योग . .		-	225	4700.41

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,
नवलनगर 450223, जिला बुरहानपुर, (म. प्र.)
रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र

क्र.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टेयर में)		तिरी	योग
				रोपा	जडी (दुरी)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बुरहानपुर							
1		बुरहानपुर	बोरगांव खुर्द	56.300	25.000	8.600	89.900
2			बाडाबुजुर्ग	3.100	3.200	3.300	9.600
3			चिंचाला	3.000	0.000	0.000	3.000
4			ऐमागिर्द	5.800	5.200	9.300	20.300
5			फतेहपुर	13.700	11.000	10.400	35.100
6			पातोंडा	0.700	0.000	0.000	0.700
7			रहीपुरा (बुरहानपुर)	7.600	2.900	0.000	10.500
8			लोधीपुरा	0.800	0.000	0.000	0.800
योग . .		बुरहानपुर		91.000	47.300	31.600	169.900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	बुरहानपुर	बहादरपुर	बहादरपुर	1.500	1.100	0.000	2.600
10			बिरोदा	0.400	0.000	0.000	0.400
11			बोहरडा	0.300	0.300	0.000	0.600
12			हतनूर	3.200	2.400	0.000	5.600
13			लोनी	1.000	0.000	0.000	1.000
14			मोहम्मदपुरा	6.800	0.000	0.000	6.800
		योग . .	बहादरपुर	13.200	3.800	0.000	17.000
15	निम्बोला		बोरी खुर्द	12.200	16.600	7.000	35.800
16			बसाड़	2.300	2.000	1.200	5.500
17			चुलखान	40.600	32.000	12.000	84.600
18			मगरूल	55.400	29.000	3.200	87.600
19			मचलपुरा	7.100	6.200	0.000	13.300
20			निम्बोला	17.700	12.400	4.300	34.400
21			नसीराबाद	49.800	30.700	17.000	97.500
22			निम्ना	4.200	2.000	0.400	6.600
23			रहीपुरा (निम्बोला)	8.800	3.300	1.600	13.700
24			झीरी	21.700	17.700	3.500	42.900
25			झांझर	7.200	2.700	2.800	12.700
		योग . .	निम्बोला	227.000	154.600	53.000	434.600
		योग . .	बुरहानपुर	331.200	205.700	84.600	621.500
26	शाहपुर	शाहपुर	बम्भाडा	1.000	0.000	0.000	1.000
27			बादखेडा (नाचनखेड)	3.300	1.200	0.600	5.100
28			शाहपुर	6.800	2.000	0.000	8.800
		योग . .	शाहपुर	11.100	3.200	0.600	14.900
29		फोपनार	अंधारी	1.000	0.000	0.000	1.000
30			फोपनार	6.800	0.800	0.000	7.600
31			खारी	0.800	0.000	0.000	0.800
32			पिंपरी	7.300	0.000	0.000	7.300
33			संग्रामपुर	1.000	0.000	0.000	1.000
34			तुरकगुराड़ा	2.000	0.000	0.000	2.000
		योग . .	फोपनार	18.900	0.800	0.000	19.700
35		चापोरा	भोंटा	4.000	0.000	0.000	4.000
36			बोरसर (चापोरा)	1.200	0.000	0.000	1.200
37			चापोरा	2.800	0.000	0.000	2.800
38			दापोरा	11.200	0.000	0.000	11.200
39			धामनगांव	13.500	0.000	0.000	13.500
40			इच्छापुर	16.700	0.000	0.000	16.700
41			बारोली	1.400	0.700	0.000	2.100
		योग . .	चापोरा	50.800	0.700	0.000	51.500
		योग . .	शाहपुर	80.800	4.700	0.600	86.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	दर्यापुर	दर्यापुर	बड़गांव (गुलई)	17.400	2.300	0.600	20.300
43			दर्यापुर	38.900	27.500	1.800	68.200
44			जैनाबाद	53.900	46.600	16.500	117.000
45			खडकोद	5.200	1.100	1.200	7.500
46			मोरदंड	0.900	0.000	0.000	0.900
47			टिटगांवखुर्द	10.700	1.000	1.200	12.900
		योग . .	दर्यापुर	127.000	78.500	21.300	226.800
48		बोदरली	बोदरली	2.800	0.000	0.000	2.800
49			बडझीरी	12.200	0.800	0.000	13.000
50			डोंगरगांव (बोदरली)	3.300	1.000	0.000	14.300
51							
52							
53			पिपलगांव	10.600	4.500	1.100	16.200
54			झापरपुरा	0.800	0.000	0.000	0.800
		योग . .	बोदरली	38.300	7.700	1.100	47.100
55		सारोला	एकलारा	6.200	6.400	0.600	13.200
56			हनुमंतखेड़ा	13.200	6.200	0.000	19.400
57			सारोला	56.900	33.700	4.500	95.100
58			टिटगांवकला	38.400	28.900	2.400	69.700
59			उमरदा	18.600	13.900	6.400	38.900
		योग . .	सारोला	133.300	89.100	13.900	236.300
60			अम्बाडा	8.400	2.400	2.100	12.900
61			बाडाजैनाबाद	4.500	0.000	0.000	4.500
62			बाडा तांडा	0.700	0.400	0.000	1.100
63			भानमोड़िया	1.000	0.000	0.000	1.000
64			देवरी	11.200	4.900	0.000	16.100
65			हिंगना	14.700	6.300	4.000	25.000
66			नेवरी	13.700	3.800	0.000	17.500
67			सांडसकला	9.100	2.200	0.000	11.300
68			शंकरपुरा	0.600	0.000	0.000	0.600
69			सांडसखुर्द	5.800	1.000	0.000	6.800
		योग . .	अम्बाडा	69.700	21.000	6.100	96.800
70		सिरपुर	हसीनाबाद	4.800	0.000	0.000	4.800
71			खैरखेड़ा	3.500	2.100	0.000	5.600
72			निम्बापुर	14.200	8.700	2.200	25.100
73			नांदखेड़ा	3.800	2.700	0.000	6.500
74			सिरपुर	21.000	9.400	0.500	30.900
		योग . .	सिरपुर	47.300	22.900	2.700	72.900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75		सिंधखेडा	गुलई	14.600	2.400	1.300	18.300
76			महलगुराड़ा	40.200	12.300	4.600	57.100
77			सिंधखेडा	85.800	53.400	3.500	142.700
78			हनुमंतखेडा-अ	8.700	8.500	0.000	17.200
		योग . .	सिंधखेडा	149.300	76.600	9.400	235.300
79	खकनार	खकनार	भैराघाट	3.700	0.000	0.000	3.700
80			धाबा	46.200	15.700	0.600	62.500
81			जामन्या	45.400	14.400	0.000	59.800
82			खकनार	51.300	28.800	1.700	81.800
83			खकनार खुर्द	21.400	2.300	0.000	23.700
84			पांगरी	8.800	2.200	0.600	11.600
		योग . .	खकनार	176.800	63.400	2.900	243.100
85		डोईफोडीया	बसाली	11.500	1.900	0.400	13.800
86			डोईफोडिया	11.000	1.500	0.700	13.200
87			कारखेड़ा	21.100	2.400	0.000	23.500
88			नायर	1.000	0.000	0.000	1.000
89			नांदुरा खुर्द	1.900	0.600	0.000	2.500
90			नांदुरा कला	1.700	0.000	0.000	1.700
91			नागझिरी	2.400	0.000	0.000	2.400
92			साईखेड़ा (डोईफोडीया)	6.600	0.000	0.000	6.600
93			ताजनापुर	8.300	2.000	0.400	10.700
		योग . .	डोईफोडीया	65.500	8.400	1.500	75.400
94		मांजरोद	विजोरी	32.800	7.000	5.100	44.900
95			दसघाट	16.900	4.300	1.500	22.700
96			कानापुर	13.100	4.400	0.000	17.500
97			मांजरोद कला	69.200	43.300	23.700	136.200
98			मांजरोद खुर्द	25.400	14.100	10.700	50.200
99			टेंभी	9.000	2.000	0.000	11.000
		योग . .	मांजरोद	166.400	75.100	41.000	282.500
100		शेखापुर	खडकी	3.600	1.300	0.000	4.900
101			मोहनगढ़	8.900	1.200	2.400	12.500
102			निर्मदड़	11.400	11.200	0.500	23.100
103			रघई	29.200	6.400	4.100	39.700
104			सावली	21.500	13.800	2.400	37.700
105			शेखापुर	43.600	18.000	2.200	63.800
106			शेखापुर माल	0.000	2.000	0.000	0.000
		योग . .	शेखापुर	118.200	53.900	11.600	183.700
		योग . .	खकनार	526.900	200.800	57.000	784.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
107	तुकईथड	तुकईथड	चिड़ियामाल	3.600	0.000	0.000	3.600
108			खोदरी	5.700	6.700	5.400	17.800
109			मोन्द्रा	16.300	12.000	2.100	30.400
110			मेलचुका	6.400	3.800	2.700	12.900
111			पीपलपानी	33.600	15.100	6.900	55.600
112			रायतलाई	13.200	5.300	0.600	19.100
113			रामधड़	16.400	2.200	0.000	18.600
114			तुकईथड़	38.400	18.610	2.400	59.410
115			झिरमिटी	4.700	0.000	3.900	8.600
116			पांढरी	0.800	0.000	0.000	0.800
		योग . .	तुकईथड	139.100	63.710	24.000	226.810
117		देडतलाई	बालापाट	2.700	0.000	0.000	2.700
118			पीपरी बोरबन	7.900	3.200	3.100	14.200
119			देडतलाई	2.500	1.300	0.400	4.200
120			धार (वेलथड़)	48.300	13.800	6.200	68.300
121			सागमली	14.000	4.200	5.500	23.700
122			सातोड	1.300	1.300	0.000	2.600
123			चौखडा	0.000	0.600	0.000	0.600
		योग . .	देडतलाई	76.700	24.400	15.200	116.300
124		शेखपुरा	दाहिन्दा	3.700	3.200	1.800	8.700
125			दैय्यत	10.400	4.300	3.900	18.600
126			डवाली	0.600	0.000	0.000	0.600
127			गोद्री	1.200	1.500	0.000	2.700
128			परेठा	1.800	0.000	0.500	2.300
129			रायपुर	1.000	0.000	0.000	1.000
130			साजनी	4.200	3.000	0.000	7.200
131			सेंधवाल	3.300	1.100	0.000	4.400
132			शेखपुरा	3.400	1.100	0.000	4.500
		योग . .	शेखपुरा	29.600	14.200	6.200	50.000
		योग . .	तुकईथड	45.400	102.310	45.400	393.110
133	हैदरपुर	हैदरपुर	डालमहू	14.900	1.400	0.000	16.300
134			घाघरला	40.800	18.300	0.000	59.100
135			हैदरपुर	65.200	34.200	0.000	99.400
136			हिवरा	53.900	27.200	0.000	81.100
		योग . .	हैदरपुर	174.800	81.100	0.000	255.900
137		डाभियाखेडा	बडीखेडा	104.600	46.500	0.500	151.600
138			डाभियाखेडा	39.900	22.600	0.000	62.500
139			पांचइमली	31.000	7.100	0.000	38.100
		योग . .	डाभियाखेडा	175.500	76.200	0.500	252.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
140		नावरा (ए)	नावरा	51.800	35.800	0.000	87.600
141			रहमानपुरा	26.200	12.600	0.600	39.400
142			सिंधखेड़ा (नावरा)	18.400	1.200	0.000	19.600
		योग . .	नावरा (ए)	96.400	49.600	0.600	146.600
143		नावरा (बी)	दूधिया	39.300	20.300	1.000	60.600
144			दर्यापुर (नावरा)	9.900	4.600	0.000	14.500
145			गोराडिया	42.200	18.000	1.600	61.800
146			गौलखेड़ा	9.700	3.900	0.000	13.600
147			केरपानी	20.900	1.600	0.000	22.500
148			मचगांव	3.800	3.600	0.000	7.400
149			नयाखेड़ा	19.200	4.100	0.000	23.300
150			रत्नापुर	4.000	0.000	0.000	4.000
		योग . .	नावरा (बी)	149.000	56.100	2.600	207.700
151		नेपानगर (ए)	अंधारवाड़ी	71.100	41.900	4.200	117.200
152			भातखेड़ा (सीवल)	36.100	15.700	1.400	53.200
153			बीड़ (नेपा)	2.400	0.000	0.000	2.400
154			सातपायरी	41.700	18.400	3.200	63.300
		योग . .	नेपानगर (ए)	151.300	76.000	8.800	236.100
155		सीवल	बदनापुर	31.300	16.900	1.400	49.600
156			बाकड़ी	0.500	0.000	0.500	1.000
157			सीवल	45.800	21.600	3.500	70.900
		योग . .	सीवल	77.600	38.500	5.400	121.500
158		पलासुर	पलासुर	80.500	39.700	1.600	121.800
159			साईखेड़ा (सीवल)	84.700	39.700	0.400	124.800
160			सोनुद	1.400	0.000	0.000	1.400
		योग . .	पलासुर	166.600	79.400	2.000	248.000
161		नेपानगर (बी)	बोरसल (चांदनी)	9.800	1.200	0.000	11.000
162			चांदनी	8.700	3.800	2.400	14.900
163			डवाली	6.500	0.100	0.000	6.600
164			नावथा	28.200	8.400	5.200	41.800
165			रतागढ़	4.100	2.600	0.000	6.700
		योग . .	नेपानगर (बी)	57.300	16.100	7.600	81.000
		योग . .	हैदरपुर	1048.500	473.000	27.500	1549.000
	पंधाना						
166		आरूद	आरूद	40.800	7.100	0.000	47.900
167			अंजनगांव	12.300	1.900	0.000	14.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
168			धनोरा	10.800	4.300	0.400	15.500
169			हीरापुर	8.800	1.100	0.000	9.900
170			कालका	1.700	0.000	0.000	1.700
171			मोहनपुर	0.300	0.000	0.000	0.300
172			पंधाना	0.900	0.000	0.000	0.900
173			बावली	1.500	0.000	0.000	1.500
174			गोराडीया	0.500	0.400	0.000	0.900
		योग . .	आरूद	77.600	14.800	0.400	92.800
175		कुमठी	बलरामपुर	4.600	1.200	0.000	5.800
176			चांदरला	1.600	0.000	0.000	1.600
177			कुमठी	6.400	0.000	0.000	6.400
178			पचम्बा	4.000	0.000	0.000	4.000
179			पावईकला	3.400	3.600	0.000	7.000
180			रुस्तमपुर	0.200	0.000	0.000	0.200
		योग . .	कुमठी	20.200	4.800	0.000	25.000
181		बोरगांव बुजुर्ग	बोरगांव बुजुर्ग	6.300	0.800	0.000	7.100
182			हेमगीर	18.700	8.300	0.000	27.000
183			इस्लामपुर	0.500	0.000	0.000	0.500
184			जामठी	1.600	0.000	0.000	1.600
185			खिराला	3.600	1.600	0.000	5.200
186			पिपरहट्टी	17.700	8.300	0.800	26.800
187			राजोरा	6.400	1.200	0.000	7.600
188			खातला	0.000	0.800	0.000	0.800
189			डोंगरगांव	1.000	1.900	0.000	2.900
		योग . .	बोरगांव बुजुर्ग	55.800	22.900	0.800	79.500
		योग . .	पंधाना	153.600	42.500	1.200	197.300
190	पुनासा	पुनासा	अटूटखास	4.200	1.200	0.000	5.400
193			खेडीबुजुर्ग	8.400	1.600	0.000	10.000
194			मुन्दी	3.400	0.000	0.000	3.400
197			बोराडी	1.000	1.600	0.000	2.600
198			खुटलाकला	6.000	0.000	0.000	6.000
		योग . .	पुनासा	32.800	5.200	0.000	27.400
200	सुलगांव		हरवंशपुरा	2.000	2.100	0.000	4.100
		योग . .	सुलगांव	11.800	4.500	0.000	4.100
		योग . .	पुनासा	44.600	9.700	0.000	31.500
205	खण्डवा	खण्डवा	जसवाडी	5.200	0.400	0.000	5.600
206			ललवाड़ा	2.000	0.400	0.000	2.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
207			लोहारी	0.800	0.000	0.000	0.800
208			शेखपुरा	2.800	0.000	0.000	2.800
209			जामलीकला	2.000	0.400	0.000	2.400
210			नागचुन	1.200	0.000	0.000	1.200
211			रूधी	0.500	0.000	0.000	0.500
		योग . .	खण्डवा	14.500	1.200	0.000	15.700
212		सिंगोट	अम्बापाट	2.000	0.600	0.000	2.600
213			हांडिया	1.000	0.400	0.000	1.400
214			खिड़गांव	2.900	0.000	0.000	2.900
215			कालपाट (गान्धवा)	6.200	0.000	0.000	6.200
216			लछोरा खुर्द	12.800	0.700	0.200	13.700
217			पिपल्याकला	1.000	0.000	0.000	1.000
218			रामपुराकला	2.000	0.000	0.000	2.000
219			सिंगोट	2.000	0.200	0.000	2.200
220			समल्वा (हांडिया)	1.500	0.800	0.000	2.300
221			धनोरा	1.400	0.200	0.000	1.600
222			चिचखेड़ा	1.400	1.000	0.000	2.400
223			बोरखेड़ा खुर्द	1.200	0.000	0.000	1.200
		योग . .	सिंगोट	35.400	3.900	0.200	39.500
224		छैगांवमाखन	अबलिया	2.400	0.400	0.000	2.800
225			बरूड	12.300	2.600	0.000	14.900
226			भोजाखेड़ी	3.200	0.000	0.000	3.200
227			कोडावद	12.300	1.200	0.000	13.500
228			खारवा	4.100	0.000	0.000	4.100
229			निहालवाड़ी	4.700	0.000	0.000	4.700
230			सैय्यदपुर	1.600	2.200	0.000	3.800
231			सुल्याखेड़ी	0.500	0.000	0.000	0.500
		योग . .	छैगांवमाखन	41.100	6.400	0.200	47.500
		योग . .	खण्डवा	91.000	11.500	0.200	102.700
	हरसूद						
232		हरसूद	सहजला	1.200	0.000	0.000	1.200
233			सुरगांव बंजारी	12.100	0.000	0.000	12.100
234			उण्डल	5.400	0.600	0.000	19.300
		योग . .	हरसूद	18.700	0.600	0.000	19.300
		योग . .	हरसूद	18.700	0.600	0.000	19.300
		कुल योग . .		3105.600	1346.610	271.000	4723.210

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-10-11-316.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी, लि. सस्वस्देवला, कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	खरगोन/कसरावद	कसरावद	47	609.756
2	खरगोन/खरगोन	खरगोन	15	51.805
3	खरगोन/गोंगावा	गोंगावा	6	19.227
4	खरगोन/सेगांवा	सेगांवा	2	38.976
5	खरगोन/भीकनगांव	भीकनगांव	14	54.340
6	खरगोन/भगवानपुरा	भगवानपुरा	2	7.186
7	खरगोन/महेश्वर	महेश्वर	41	435.778
8	खण्डवा/पुनासा	पुनासा	25	63.272
9	खरगोन/बड़वाह	बड़वाह	35	117.061
योग . .			187	1397.401

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे।

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी, लि.
सस्वस्देवला, कसरावद, जिला खरगोन

विकासखण्ड कसरावद

क्र.	गन्ना ग्राम का नाम	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)			रिमार्क
		जडी	रोपा	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कसरावद	18.478	56.190	74.668	
2	बडगांव	12.939	20.101	33.040	
3	कठोरा(माकडखेडा)	4.810	12.911	17.721	
4	माकडखेडा	8.053	25.684	33.737	
5	सायता	4.753	24.551	29.304	
6	नावडाटोडी	0.000	0.854	0.854	
7	बोथू	12.113	26.656	38.769	
8	मोगांवा	12.202	26.603	38.806	
9	ब्राम्हणगांव	3.089	3.992	7.081	
10	दोगावां	0.000	1.162	1.162	
11	काकरियाव	0.000	1.105	1.105	
12	गवला	0.126	0.146	0.271	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	भीलगांव	1.996	4.158	6.154	
14	बालसमुद	7.332	26.279	33.611	
15	ढालखेडा	6.401	9.381	15.781	
16	डोंगरगांव	4.470	20.166	24.636	
17	सलीमपुरा	0.000	0.466	0.466	
18	पागाखेडी	0.000	1.162	1.162	
19	बोरावां	0.000	1.279	1.279	
20	बिटेर	0.000	6.239	6.239	
21	धरमपुरी	0.000	5.372	5.372	
22	वायतेल	0.000	1.089	1.089	
23	सतवाडी	0.000	2.526	2.526	
24	बहादरपुरा	0.000	1.036	1.036	
25	कवडी	0.000	1.538	1.538	
26	भनगाव	1.182	16.202	17.385	
27	कमोदवाडा	0.000	2.960	2.960	
28	सुर्वा	0.000	0.846	0.846	
29	मुलठान	0.000	2.980	2.980	
30	हिरापुर	0.000	2.126	2.126	
31	मदरानिया	0.000	1.344	1.344	
32	बलकवाडा	0.000	0.834	0.834	
33	रामपुरा	0.000	0.838	0.838	
34	गोपालपुरा	0.000	0.976	0.976	
35	करोदिया	0.000	0.834	0.834	
36	चंदनपुरी	0.000	3.243	3.243	
37	ओझरा	0.000	1.976	1.976	
38	सरवरदेवला	0.291	9.664	9.955	
39	उटावद	9.158	24.409	33.567	
40	उमरिया	0.000	6.858	6.858	
41	लेपा	0.000	3.077	3.077	
42	टिगरियाव	2.300	20.619	22.919	
43	कोगावा	1.126	5.085	6.211	
44	अमलाथा	22.90	77.721	100.619	
45	नहारखेडी	0.162	5.036	5.198	
46	ससाबड	0.000	1.486	1.486	
47	खलसाटक	1.652	4.466	6.117	
		योग . .	222.887	634.449	609.756

विकासखण्ड खरगोन

1	बनार	0.000	9.231	9.231	
2	गोगांवा (जुलवानियार)	0.000	2.348	2.348	
3	बन्हुर	0.000	3.413	3.413	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	भसनेर	0.000	2.502	2.502	
5	बेडिया	0.000	1.676	1.676	
6	लिक्खी	0.000	2.575	2.575	
7	भातुड	0.000	0.522	0.522	
8	बाडी	0.000	0.632	0.632	
9	सिनखेडा	0.000	8.028	8.028	
10	खेडी	0.356	5.676	6.032	
11	मोटापुरा	0.000	5.344	5.344	
12	मांगरूल	0.000	2.781	2.781	
13	दामखेडा	0.000	2.377	2.377	
14	मोमीनपुरा	0.000	3.186	3.186	
15	बीड	0.000	1.158	1.158	
योग . .		0.356	51.449	51.806	

विकासखण्ड गोगांवा

1	घुघरियाखेडी	0.000	0.676	0.676
2	बेजापुर	1.648	4.939	6.587
3	बिलखेड बुजुर्ग	0.000	4.040	4.040
4	दयालपुरा	0.000	1.320	1.320
5	लाखी	0.000	1.692	1.692
6	बेहरामपुरा टेमा	0.680	4.231	4.911
योग . .		2.328	16.899	19.227

विकासखण्ड सेगांव

1	गंधावड	0.000	3.425	3.425
2	डेहरी	7.619	27.931	35.551
योग . .		7.619	31.356	38.976

विकासखण्ड भीकनगांव

1	शगुर-भगुर	0.000	26.903	26.903
2	भिकनगांव	0.000	0.275	0.275
3	साईखेडी	0.000	1.676	1.676
4	बमनाला	0.000	1.733	1.733
5	सेजला	0.000	0.777	0.777
6	टेमरनी	0.000	1.142	1.142
7	रेहगांव	0.000	2.069	2.069
8	पोई	0.000	0.972	0.972
9	शक्कर खेडी	0.000	6.862	6.862
10	नुरियाखेडी	0.000	3.660	3.660

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	खोई	0.000	0.870	0.870	
12	चेनपुर	0.745	1.150	1.895	
13	सेल्दा	0.000	2.158	2.158	
14	बिटनेरा	0.259	3.089	3.348	
योग . .		1.004	53.336	54.340	

विकासखण्ड भगवानपुरा

1	कुकडोल	0.000	4.543	4.543	
2	देवली	0.000	2.644	2.644	
योग . .		0.000	7.186	7.186	

विकासखण्ड महेश्वर

1	जलकोटा	30.178	50.356	80.534	
2	मोहद	0.000	2.543	2.543	
3	खराडी	3.939	15.417	19.356	
4	ईटावदी	0.000	5.134	5.134	
5	कुडियां	4.069	8.547	12.615	
6	माचंदा	2.356	1.409	3.765	
7	महेश्वर	9.304	34.150	43.453	
8	मण्डलेश्वर	4.696	10.348	15.045	
9	ठनगांव	1.364	4.194	5.559	
10	छोटी खरगोन	2.093	9.717	11.810	
11	चोली	1.247	2.085	3.332	
12	धरगांव	3.506	12.372	15.879	
13	सुलगांव	4.142	10.935	15.077	
14	गोगांवा (मण्डलेश्वर)	3.988	7.421	11.409	
15	नान्द्रा	4.296	25.259	29.555	
16	पथराड	1.243	3.223	4.466	
17	मातमूर	5.162	9.466	14.628	
18	देव पिपल्या	2.126	12.308	14.433	
19	उरवाय	5.854	6.838	12.692	
20	मोहना	0.000	1.623	1.623	
21	बडवेल	0.000	2.433	2.433	
22	महेतवाडा	0.000	1.231	1.231	
23	बडवी	0.000	1.101	1.101	
24	दहीवर	0.000	1.571	1.571	
25	सोमाखेडी	0.000	0.636	0.636	
26	गुलावड	0.000	0.879	0.879	
27	कतरगांव	3.951	4.364	8.316	
28	बंडेरा	6.073	9.733	15.806	
29	नई बेहगांव	0.000	1.215	1.215	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	बेहगांव	3.239	7.077	10.316	
31	पाडयाघटखेडी	0.000	2.457	2.457	
32	पिटागबली	0.000	9.866	9.866	
33	पिपल्या बुजुर्ग	0.000	2.753	2.753	
34	गंगातखेडी	1.688	2.360	4.049	
35	जामन्या	0.000	3.664	3.664	
36	मलक्षाखेडी	0.000	1.239	1.239	
37	रूपाला	2.976	0.000	2.976	
38	रामगढ़	0.000	0.680	0.680	
39	कोदया खेडी	0.000	10.972	10.972	
40	कवाणा	0.000	10.162	10.162	
41	भुदरी	8.814	11.737	20.551	
योग . .		116.304	319.474	435.778	

विकासखण्ड बड़वाह

1	मुरल्ला	2.652	6.417	9.069	
2	सेमरला	0.000	1.437	1.437	
3	भोराई	0.000	4.449	4.449	
4	बावडीखेड़ा	0.668	2.838	3.506	
5	नांदिया	0.000	8.462	8.462	
6	लालपुरा	0.000	0.591	0.591	
7	अस्तरिया	2.045	14.858	16.903	
8	खोडी	0.364	0.000	0.364	
9	लिबडी	0.000	0.482	0.482	
10	सिरलाय	0.000	1.547	1.547	
11	कुरावद	0.000	0.372	0.372	
12	दौलतपुरा	0.000	0.789	0.789	
13	कटघटा	0.000	0.449	0.449	
14	नरसिंगपुरा	0.000	1.700	1.700	
15	रतनपुरा	0.000	4.113	4.113	
16	काटकुट	0.000	1.194	1.194	
17	बेडिया खुर्द	0.000	3.344	3.344	
18	बोधगांव	0.000	1.101	1.101	
19	बिराली	0.000	0.417	0.417	
20	बकावा	0.000	1.182	1.182	
21	कानापुर	0.000	2.057	2.057	
22	मर्दाना	0.000	4.478	4.478	
23	तमोलिया	0.000	0.850	0.850	
24	पाण्डुखाल	0.000	0.903	0.903	
25	ठोकसर	0.000	1.231	1.231	
26	बडूद	4.190	17.101	21.291	
27	देलवाड़ा	0.951	0.769	1.721	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	जूनापानी	0.927	0.409	1.336	
29	कांकरिया	1.174	0.000	1.174	
30	बासवा	0.000	3.680	3.680	
31	खनगांवखेडी	0.000	4.810	4.810	
32	सनावद	0.000	2.344	2.344	
33	मलगांव	0.000	7.688	7.688	
34	बागंरदा	0.000	1.603	1.603	
35	कोटल्याखेडी	0.000	0.421	0.421	

योग . .	12.972	104.089	117.061
---------	--------	---------	---------

विकासखण्ड पुनासा

1	कोठी	0.000	0.826	0.826
2	मोटक्का	0.000	0.377	0.377
3	मोरगढ़ी	0.000	1.538	1.538
4	बोराडी रैयत	0.660	0.000	0.660
5	गुजरखेडी	1.231	1.854	3.085
6	रिछफल	0.000	1.405	1.405
7	मोहना	0.628	7.729	8.356
8	टेमाचा	0.000	2.312	2.312
9	कालिया खेडी	0.866	1.563	2.429
10	डुडगांव	0.000	0.377	0.377
11	रजुर	0.000	1.437	1.437
12	गुजली	0.506	4.899	5.405
13	पुनासा	0.263	1.482	1.745
14	नवलगांव	0.000	0.202	0.202
15	गोल	1.275	1.235	2.510
16	मुरलाय	0.000	0.607	0.607
17	धारकवाडी	0.000	2.097	2.097
18	खुटला	0.000	5.753	5.753
19	बिहारीपुरा	0.251	1.385	1.636
20	कालमुखी	0.000	4.648	4.648
21	अटुट	1.117	3.992	5.109
22	कामनखेडा	2.069	1.704	3.773
23	केलवा	0.000	0.340	0.340
24	मथेला	0.000	0.441	0.441
25	खेडी	1.709	4.494	6.202

योग . .	10.575	52.697	63.272
---------	--------	--------	--------

कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्र. सी-6270.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट (म. प्र. सीरीज) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की लॉ रिपोर्टिंग कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए, इंडियन लॉ रिपोर्ट (म. प्र. सीरीज) की एक प्रति का मूल्य 40/- (चालीस रुपये) एवं वार्षिक अभिदान 400/- (चार सौ रुपये) निर्धारित करता है। यह मूल्यवृद्धि वर्ष 2011 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी।

सीमा शर्मा, नियंत्रक.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैठन, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. 2578-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	खम्हरिया	20.59	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली	765/400 के. वी. विंध्याचल पुलिंग उपकेन्द्र की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली, जिला सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 2580-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	परसदेही	4.91	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली	765/400 के. वी. विंध्याचल पुलिंग उपकेन्द्र की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली, जिला सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.